

प्रस्ताव के लिए आमंत्रण

कर संबंधित मामलों में
सलाहकार सेवाओं में सहायता करने और परामर्श
देने के लिए एक फर्म की नियुक्ति
(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों)

दिनांक : -- 23 मई 2017
आरएफपी सन्दर्भ:

प्रस्ताव के लिए आमंत्रण (आरएफपी) कर संबंधित मामलों में सलाहकार सेवाओं में सहायता करने और परामर्श देने के लिए एक फर्म की नियुक्ति (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों)

आरएफपी प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्य सूचना

क्रम सं०	ब्योरा	निर्धारित समय
1	आरएफपी जारी होने की तारीख	23 मई 2017
2	आरएफपी समन्वयकर्ता	पंकज कुमार सिंह
	टेलीफोन	+91 11 24649031 (एक्स. 422)
	ईमेल आईडी	pankaj.singh@nhb.org.in
	प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पता	5वां तल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
3	बिड-पूर्व बैठक से पहले स्पष्टीकरण के लिए लिखित अनुरोध हेतु अंतिम तारीख	06:00 सायं,-- 06 जून 2017 पता - 5वां तल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
4	बिड-पूर्व बैठक	11:00 दोपहर,-- 07 जून 2017 पता - 5वां तल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
5	आरएफपी प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	1800 बजे सायं,-- 14 जून 2017 पता - 5वां तल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
6	पात्रता एवं तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तारीख	11:30 दोपहर,-- 15 जून 2017 पता - 5वां तल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
7	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख	पात्र चयनित बोलीदाताओं को प्रबंधन की सलाह अनुसार तकनीकी प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयनित बोलीदाताओं को प्रस्तुतीकरण के लिए तारीख की सूचना भेजी जाएगी।
8	वित्तीय प्रस्ताव खोलना	तकनीकी प्रस्तावोंमें सफल बोलीदाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तारीख की सूचना उन बोलीदाताओं को ही बाद में अलग से भेजी जाएगी जो पात्र होंगे और तकनीकी आधार पर योग्य होंगे।
9	आवेदन शुल्क	भारतीय रूपए 2,000/- (रूपए दो हजार केवल)
10	पेशगी जमा राशि	भारतीय रूपए 50,000/- (रूपए पचास हजार केवल)

आरएफपी में उपयोग किए गए शब्दों की परिभाषा:

दस्तावेज में उपयोग किए गए निम्नलिखित शब्द को अर्थ है:

1. 'नियत कार्य/काम/नियुक्ति' से संविदा के अनुसार चयनित बोलीदाता द्वारा निष्पादित किए जाने वाला कार्य अभिप्रेत है
2. 'बैंक अथवा एनएचबी' से राष्ट्रीय आवास बैंक अभिप्रेत है।
3. 'संविदा' अथवा 'करार' से पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा एवं आरएफपी के अनुसार कार्यवाही पूरा करने के फलस्वरूप सभी संलग्न दस्तावेज एवं परिशिष्ट अभिप्रेत है।
4. 'दिवस' से कलेंडर दिवस अभिप्रेत है।
5. 'पक्षों का विगोपन करना/पक्षों को लेना/पक्ष/पक्षों' से राष्ट्रीय आवास बैंक एवं सफल बोलीदाता अथवा यथास्थिति दोनो अभिप्रेत है।
6. भागीदार का मतलब किसी कंपनी/ सनदी लेखाकारों के एलएलपी में लाभ की हिस्सेदारी वाले पेशेवर हैं जैसा कि भागीदारी अधिनियम और/या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम में परिभाषित है।
7. 'कर्मचारी वर्ग/संसाधन' से चयनित बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पेशेवर अथवा सहायक कर्मचारीगण अभिप्रेत है।
8. 'प्रस्ताव/बोली/निविदा' से आरएफपी दस्तावेज के का प्रत्युत्तर अभिप्रेत है।
9. प्राप्तकर्ता, प्रत्युत्तरदाता, सलाहकार एवं बोलीदाता' से कर मामलों में सहायता एवं सहायक सेवाएं उपलब्ध करने हेतु फर्म की नियुक्ति के इस आरएफपी का प्रत्युत्तर देनेवाले इच्छुक एवं पात्र आवेदक अभिप्रेत है।
- 10 'आरएफपी' से प्रस्तावित दस्तावेज हेतु अनुरोध अभिप्रेत है।
11. सफल/चयनित बोलीदाता का अर्थ बोलीदाता जो कि आरएफपी के अनुसार बैंक द्वारा उचित पाया गया एवं जिसे नॉलेज पार्टनर/कर परामर्शक के रूप में भी जाना जायेगा

गोपनीयता

यह दस्तावेज आरएफपी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक कंपनियों/ व्यक्तियों के प्रयोग के लिए ही बनाया गया है। यह दस्तावेज पूरी तरह कापीराइट कानूनों के अन्तर्गत है। रा. आ. बैंक प्रतिभागियों की ओर से कार्य करने वाले प्रतिभागियों और व्यक्तियों से दस्तावेज में दिये अनुदेशों का सख्ती से पालन करने और सूचना की गोपनीयता बनाये रखने की आशा करता है। दस्तावेज में उल्लिखित सूचना के किसी दुरुपयोग के लिये परामर्शदाता उत्तरदायी होगा और ऐसी कोई घटना बैंक की जानकारी में लाए जाने पर बैंक द्वारा कार्रवाई के लिये जबाबदेय होगा। दस्तावेज को डाउनलोड करने पर, इच्छुक पार्टी पर गोपनीयता की शर्तें लागू हो जाएंगी।

विषय

1. भूमिका
 - 1.1 भूमिका और अस्वीकरण
 - 1.2 उपलब्ध जानकारी
 - 1.3 अस्वीकरण
 - 1.4 प्रतिभागियों के लिए मूल्य
 - 1.5 प्राप्तकर्ता सूचना के लिए स्वयं उत्तरदायी
 - 1.6 प्रस्तावों का मूल्यांकन
 - 1.7 गलतियां और भूलें
 - 1.8 शर्तों की स्वीकारोक्ति
 - 2 **आरएफपी प्रत्युत्तर की शर्तें**
 - 2.1 आरएफपी का प्रत्युत्तर प्रस्तुत
 - 2.1.1 आवेदन राशि या आरएफपी का मूल्य
 - 2.2 आरएफपी प्रत्युत्तरों का पंजीकरण
 - 2.3 आरएफपी की वैधता अवधि
 - 2.4 संविदा की अवधि
 - 2.5 आरएफपी से संबंधित पत्राचार
 - 2.6 अधिसूचना
 - 2.7 अयोग्यता
 - 2.8 भाषा
 - 2.9 बिडों का फार्मेट
 - 2.10 समय सीमा
 - 2.11 आरएफपी प्रत्युत्तर में प्रस्तुत ब्योरा
- बिड पूर्व पूछताछ**
- 2.11.1 तकनीकी प्रस्ताव का फार्मेट
 - 2.12 पेशगी जमा राशि
 - 2.13 वित्तीय प्रस्ताव
- 3 **शर्तें**
 - 3.1 भूमिका और प्रोजेक्ट की रूपरेखा
 - 3.2 प्रयोजन
 - 3.3 प्रोजेक्ट का दायरा
 4. **मूल्यांकन प्रक्रिया**

- 4.1 तकनीकी प्रस्ताव खोलना
- 4.2 प्रारम्भिक जांच
- 4.3 तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन मानदंड

5 नियम एवं शर्तें

- 5.1 सामान्य
- 5.2 अन्य
- 5.3 अन्य आरएफपी अपेक्षाएं
- 5.4 संविदागत वायदे
- 5.5 भुगतान शर्तें
- 5.6 उप-संविदा
- 5.7 जुर्माना

6 सामान्य नियम एवं शर्तें

- 6.1 विवाद प्रस्ताव
- 6.2 शासित कानून
- 6.3 नोटिस तथा अन्य पत्राचार
- 6.4 अप्रत्याशित घटना
- 6.5 निर्धारित कार्य
- 6.6 अधित्याग
- 6.7 गोपनीयता
- 6.8 करार समाप्ति
- 6.9 प्रचार
- 6.10 कर्मचारियों के अनुरोध
- 6.11 अभिलेखों का निरीक्षण
- 6.12 कानूनों का अनुपालन
- 6.13 आदेश निरस्त
- 6.14 वचनबद्धता
- 6.15 भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियां
- 6.16 शर्तों का उल्लंघन
- 6.17 प्राधिकृत हस्ताक्षरी
- 6.18 अप्रकटीकरण करार
- 6.19 प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार
- 6.20 दायित्व की सीमा

7 अस्वीकरण

1. भूमिका

1.1 भूमिका और अस्वीकरण

यह 'अनुरोध प्रस्ताव' (आरएफपी) दस्तावेज राष्ट्रीय आवास बैंक (बैंक) को कर संबंधी मामलों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) में सहायता करने और परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम किसी फर्म को नियुक्त करने के प्रयोजन से ही तैयार किया गया है।

यह आरएफपी दस्तावेज सेवाओं के बारे में कोई संविदा, करार या कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये कोई सिफारिश, प्रस्ताव या आमंत्रण नहीं है। सेवाओं की व्यवस्था बैंक और किसी सफल परामर्शदाता जिसकी पहचान बैंक द्वारा चयन प्रक्रिया से गुजरने और उचित दस्तावेजन के बाद, जैसे कि आरएफपी दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, के बीच सहमति के बाद की जाएगी।

आरएफपी दस्तावेज केवल उस पार्टी की सूचनार्थ माना जाता है जिसे यह जारी किया जाता है ('प्राप्तकर्ता' या 'अभियोजनकर्ता') तथा अन्य कोई व्यक्ति या संगठन नहीं।

राष्ट्रीय आवास बैंक कर संबंधी मामलों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) में सहायता करने और परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

1.2 उपलब्ध सूचना

आरएफपी दस्तावेज में उस सूचना से जानकारी दी गई है जिसे प्राप्त तारीख को सत्य और विश्वसनीय माना गया किंतु वह सभी सूचना नहीं दी गई है जो किसी इच्छुक संविदाकर्ता को यह निर्णय लेने के लिये आवश्यक या वांछनीय हो कि क्या सेवाओं के संबंध में बैंक के साथ संविदा या करार किया जाए या नहीं। ना तो बैंक और ना ही उसका कोई निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, प्रतिनिधि, संविदाकर्ता या परामर्शदाता इस आरएफपी दस्तावेज में दी गई किसी परिशुद्धता, नवीनतम या किसी लिखत, सूचना या कथन के पूरा होने का आश्वासन, कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता या वारंटी (मौखिक या लिखित), व्यक्त या अव्यक्त देता है।

1.3 अस्वीकरण

किसी कानून के विपरीत होने, कानून से अनुमत्य अधिकतम सीमा तक, बैंक और ना ही उसके निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, प्रतिनिधि, संविदाकर्ता और परामर्शदाता इस संबंध में हुई किसी व्यक्ति को कार्य करते हुए या कार्य से बचने पर चाहे किसी पूर्व अनुमान या सूचना के अनुसार (चाहे मौखिक हो या लिखित और चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त), पूर्वानुमानों, कथनों, अनुमानों या इस आरएफपी में दिये आकलनों या इसकी सहायक सेवाओं के संबंध में चाहे किसी अज्ञानता, लापरवाही, ध्यान न देने, आलस से, गलती, सावधानी नहीं बरतने, अधूरी जानकारी, झूठ या बैंक या इसके किसी निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, संविदाकर्ता, प्रतिनिधि, एजेंट या परामर्शदाता के गलत प्रतिनिधित्व के कारण हुई किसी क्षति, दावे, व्यय (बिना किसी सीमा के, किसी विधिक शुल्क, लागत, प्रभारों, मांगों, कार्यों, देयताओं, व्ययों या किये गये संवितरणों या प्रासंगिक व्ययों) या नुकसान (चाहे पूर्व अनुमानित हो या नहीं) ('हानियों) के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

1.4 प्रस्तावकर्ता द्वारा लागत वहन

प्राप्तकर्ता/प्रस्तावकर्ता द्वारा विकास, तैयारी या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के संबंध किये गये किसी व्यय, इसमें बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शनों आदि में उपस्थिति सहित तथा बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना देने में हुआ अतिरिक्त व्यय पूर्णतया प्राप्तकर्ता/प्रस्तावकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

1.5 प्राप्तकर्ता स्वयं को सूचित करने के लिये उत्तरदायी

प्राप्तकर्ता को इस आरएफपी दस्तावेज में दी गई किसी सूचना के बारे में स्वयं सावधानी बरतनी और स्वयं जांच पडताल तथा विश्लेषण करना चाहिए और उस सूचना का अर्थ व प्रभाव समझना चाहिए।

1.6 प्रस्तावों का मूल्यांकन

प्रत्येक प्रस्तावकर्ता इस बात को स्वीकार करेगा कि बैंक अपने पूर्ण निर्णयानुसार उन मानदंडों को लागू करेगा जिन्हें वह परामर्शदाता के चयन के लिये उपयुक्त समझता है, अतः इस आरएफपी दस्तावेज में उल्लिखित मानदंड तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा।

आरएफपी दस्तावेज को जारी करने का प्रयोजन केवल इसके प्रत्युत्तर में प्रस्ताव आमंत्रित करना है अतः इसे कोई करार या संविदा या व्यवस्था नहीं माना जाए और न ही इस पर प्रस्तावकर्ता द्वारा कोई जांच या समीक्षा की जाएगी। प्रस्तावकर्ता बिना शर्त इस आरएफपी दस्तावेज के प्रत्युत्तर में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा कि उसने इस आरएफपी दस्तावेज में दिये गये किसी विचार, सूचना, कथन, प्रतिनिधित्व या वारंटी पर निर्भरता नहीं की है।

1.7 त्रुटियां और भूल

प्रत्येक प्राप्तकर्ता को इस आरएफपी दस्तावेज में बैंक द्वारा की गई किसी गलती, चूक, विसंगति के बारे में बैंक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पूर्व, सूचित करना चाहिए।

1.8 शर्तों की स्वीकारोक्ति

बैंक के इस आरएफपी दस्तावेज का प्रत्युत्तर देने वाले को यह मान लिया जाएगा कि उसने इस आरएफपी दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों की स्वीकार कर लिया है।

2. आरएफपी प्रत्युत्तर की शर्तें

2.1 आरएफपी प्रस्तुत करना

2.1.1 आवेदन राशि या आरएफपी का मूल्य

‘आरएफपी प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में प्रमुख सूचना’में उल्लेखानुसार आवेदन राशि ‘राष्ट्रीय आवास बैंक’ के पक्ष में ई-भुगतान करें जो अप्रतिदेय है जिसे आरएफपी प्रत्युत्तर के साथ अलग से प्रस्तुत करें। बैंक किसी भी बिड को अपने विवेकानुसार निरस्त कर सकता है जिसमें आरएफपी राशि आवेदन के साथ नहीं भेजी गई है। लेखा विवरण परिशिष्ट ‘क’ में दिया गया है।

2.2 आरएफपी प्रत्युत्तर का पंजीकरण

बैंक द्वारा उक्त प्रकार से प्राप्त आरएफपी प्रत्युत्तर को इस प्रयोजन से बनाये एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पंजीकरण में इस आरएफपी में अपेक्षित सभी दस्तावेज, सूचना और ब्योरा होना चाहिए। यदि प्रस्तुत इस आरएफपी में अपेक्षित सभी दस्तावेज और सूचना नहीं है या अधूरी है या ईमेल से प्रस्तुत की गई है तो उस आरएफपी को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सभी प्रस्तुत दस्तावेज आदि बैंक की सम्पत्ति हो जाएंगे। प्राप्तकर्ता को लाइसेंस प्राप्त माना जाएगा और उन्हें मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पूरे या कुछ अंश प्रस्तुत करने के लिए बैंक को सभी अधिकार दिया माना जाएगा।

2.3 आरएफपी वैधता अवधि

आरएफपी प्रत्युत्तरों को तकनीकी बिड खोलने की तारीख से 90 दिनों तक उनकी शर्तों के अनुसार मूल्यांकन के लिये खोला जाएगा और वे वैध रहने चाहिए।

2.4 संविदा की अवधि

संविदा तीन वर्ष तक वैध रहेगा। यद्यपि, बैंक के साथ संविदागत अवधि में यदि किसी संबंधित सरकारी निकाय या प्रमुख आपूर्तिकर्ता (यदि कोई हो) के दिशानिर्देशों में किसी बदलाव के कारण दरों में कोई सामान्य कटौती की जाती है तो उसी अनुपात में लाभ बैंक को अंतरित किया जाएगा। बैंक सफल बिडरों के साथ 3 वर्ष के लिए सेवा संविदा निष्पादित करेगा, हालांकि प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए कार्य आदेश देगा जिसे आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा बशर्ते कार्य संतोषजनक पाया गया।

2.5 आरएफपी के संबंध में पत्राचार

प्राप्तकर्ता आरएफपी से संबंधित पत्राचार/स्पष्टीकरण/पूछताछ, यदि कोई हो, लिखित में या ईमेल से भेजेंगे या आरएफपी में दिये ब्योरे अनुसार स्पष्टीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से पूर्व भेजेंगे। बैंक प्रतिभागियों द्वारा की गई प्रत्येक तर्कसंगत पूछताछ का उत्तर, बिना किसी दायित्व के, देने का प्रयास करेगा। आरएफपी में किये गये प्रत्येक संशोधन की सूचना आरएफपी के परिशिष्ट में दी जाएगी और उसे बैंक की वेबसाइट में ‘निविदा खण्ड’ में प्रकाशित की जाएगी। यद्यपि, बैंक ‘आरएफपी प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में प्रमुख सूचना’में दी गई तारीखों के भेजे पत्रों का उत्तर नहीं देगा।

बैंक अपने एकल निर्णयानुसार, किंतु बिना किसी दायित्व के' किसी आवेदनकर्ता से आरएफपी की तारीख समाप्त होने के बाद भी कोई सूचना या सामग्री की मांगकर सकता है और ऐसी सभी सूचना और सामग्री को उस आवेदनकर्ता के प्रत्युत्तर का भाग मानना चाहिए।

आवेदनकर्ताओं को अपने ईमेल पते अवश्य प्रस्तुत करने चाहिए ताकि बैंक द्वारा आरएफपी के बारे में कोई अपेक्षित जानकारी आवेदनकर्ता को ईमेल द्वारा भेजी जा सके। यदि बैंक अपने एकल और पूर्ण विवेकानुसार अनुभव करता है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने से लाभ हो सकता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसा प्रत्युत्तर सभी प्रतिभागियों को भेजे।

बैंक आरएफपी की तारीख समाप्त होने के बाद किसी सूचना या स्पष्टीकरण को बेहतर करने के लिए किसी आवेदनकर्ता से (या एक से अधिक आवेदनकर्ताओं से) चर्चा या बातचीत कर सकता है।

2.6 अधिसूचना

बैंक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरएफपी मूल्यांकन पूरा होने के बाद सभी प्रतिभागियों को लिखित में सूचित करेगा या वेबसाइट में प्रकाशित कर सकता है। बैंक किसी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिये दायी नहीं होगा।

2.7 अयोग्यता

किसी भी रूप में प्रचार/लाबिंग/प्रभावित करने पर बैंक अपने निर्णयानुसार किसी को भी अयोग्य घोषित कर सकता है।

2.8 भाषा

बिडर द्वारा तैयार सभी आरएफपी प्रत्युत्तर, तथा परामर्शदाता द्वारा बैंक के साथ किये सभी पत्राचार और आरएफपी से संबंधित दस्तावेज और सहायक दस्तावेजों को एवं मुद्रित सामग्री को केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा।

2.9 बिडों की फार्मेट

बिड कर्ताओं को आरएफपी प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित फार्मेटों का ही प्रयोग करना चाहिए। यह बैंक उन बैंकों और अन्य संस्थानों से दी गई सूचना की जानकारी लेने का अधिकार रखता है जहां परामर्शदाताओं ने समान सेवाओं के निष्पादन के लिये सेवाएं प्रदान की थीं।

2.10 समय सीमा

समग्र चयन प्रक्रिया के लिये इस दस्तावेज के आरंभ में ही समय सीमा दी गई है। बैंक इस समय सीमा में अपने ही निर्णयानुसार और कोई नोटिस/सूचना या कारण का उल्लेख किये बिना परिवर्तन कर सकता है। समय सीमा में किये गये संशोधन की जानकारी प्रक्रिया के दौरान ही संबंधित प्रतिभागियों को भेज दी जाएगी। समय तालिका का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इच्छुक बिड कर्ताओं से इस समय तालिका का अनुपालन करने की आशा की जाती है। यद्यपि, बैंक को उपर्युक्त समय तालिका को संशोधित करने का अधिकार होगा। बैंक संशोधनों को, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इच्छुक बिडकर्ताओं से अनुरोध है कि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख तक सभी पत्राचार के लिए बैंक की वेबसाइट पर निविदा खण्ड अवश्य देखें।

2.11 आरएफपी प्रत्युत्तर का ब्योरा

पात्रता और तकनीका प्रस्तावों को मोहर बंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा जिनपर नीचे दिये अनुसार लिखा जाएगा –
‘राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए पात्रता और तकनीकी प्रस्ताव – ‘कर मामलों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) में परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराना और सहायता करना’ प्रेषक – ----- पात्रता बिड वाले अंदर के लिफाफे के ऊपर। फर्म का ब्योरा बाहरी लिफाफे पर और अंदर के लिफाफों पर भी जिनमें शामिल हैं :

फर्म :

व्यक्ति का नाम :

ईमेल पता :

सम्पर्क नम्बर :

अंदर के लिफाफे में आवेदन राशि भुगतान और ईएमडी, यथा निर्धारित, का साक्ष्य भी होना चाहिए। इस लिफाफे में प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव की सीडी भी होनी चाहिए।

आरएफपी प्रत्युत्तर दस्तावेजबैंक को सीडी के साथ मूल रूप में हार्ड प्रति भेजनी होगी। किसी विसंगति के मामले में, मूल को तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन उद्देश्य हेतु अंतिम माना जाएगा।

पात्रता एवं तकनीकी प्रस्ताव पात्रता मानदंड (अनुलग्नक 3)

क्रम सं०	ब्योरा	प्रस्तुत किये जाने वाले सहायक दस्तावेज
1	बिडकर्ता को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी/ साझेदारी/ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), भारत में पंजीकृत या निगमित होना चाहिए, तथा लेखा परीक्षा एवं परामर्शीय सेवाओं (कर मामले) के क्षेत्रमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	साझेदारी के मामले में कंपनी पंजीयक द्वारा जारी निगमन के प्रमाण पत्र/ साझेदारी के मामले में साझेदारी विलेख और कंपनी पंजीयक द्वारा जारी कारोबार शुरू करने के प्रमाण पत्र (कंपनियों के लिए) और कंपनी पंजीयक का अपेक्षित निगमन/ पंजीकरण प्रमाण पत्र (एलएलपी के लिए) की सत्यापित प्रति।
2	बिडकर्ता का प्रमुख कारोबार लेखा परीक्षा, कर परामर्श और संबंधित सेवाएं देने का होना चाहिए।	संस्था के अन्तर्नियम
3	बिडकर्ता का पिछले प्रत्येक तीन वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) में लेखा परीक्षा एवं परामर्शीय सेवाओं से कम से कम कारोबार रू. 1 करोड होना चाहिए।	संपरीक्षित वित्तीय विवरणियां या लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षारिपोर्टों एवं उन पर टिप्पणियों सहित, जिनमें पिछले तीन वर्षों के कारोबारका ब्योरा दिया हो, की सत्यापित प्रतियां।

4	बिडकर्ता/ ग्रुप कंपनी को किसी सरकार, वित्तीय संस्थान/ बैंकों/ आईसीएआई/ आईबीए/सरकार /अर्धसरकारी विभाग/ पीएसयू/ या किसी अन्य संस्थान या एजेंसी द्वारा भारत में पिछले 10 वर्षों में काली सूची में नहीं डाला गया हो।	बिडकर्ता द्वारा बिडकर्ता के पत्र शीर्ष पर स्व-घोषणा
6	बिडकर्ता/ ग्रुप कंपनी रा0आ0 बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी/ कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में दिये अनुसार, के स्वामित्वाधीन न हो।	बिडकर्ता द्वारा बिडकर्ता के पत्र शीर्ष पर स्व-घोषणा
7	बिडकर्ता फर्म में उसके वेतन पत्रक में,लेखा परीक्षा/ परामर्शीय सेवाएं (कराधान) देने के लिए कम से कम 5 अर्हता प्राप्त सीए/सीएमए होने चाहिए।	कंपनी के पत्र शीर्ष पर कर्मचारियों की सूची जो प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
8	फर्म का कार्यालय दिल्ली/ एनसीआर में हो।	निगमित होने का प्रमाण पत्र। कंपनी के पत्र शीर्ष पर कंपनी के कार्यालयों की सूची जो प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
9	बिडकर्ता को पिछले 5वर्षों में आईटीएटी मामले स्वतंत्र रूप से निपटाने में समर्थ होना चाहिए।	संबंधित कार्य आदेश
10	बिडकर्ता ने भारत में कम से कम दो बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के कर परामर्शदाता के रूप कार्य किया हो।	दस्तावेजी साक्ष्य दिये जाएं।

केवल वही फर्म इस बिड में भाग लेने की पत्र होंगी जो ऊपर निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती है। बिडकर्ता को अपने प्रत्युत्तर के साथ दस्तावेजी साक्ष्य और स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए जैसाकि उक्त उल्लेख किया गया है। उन बिडकर्ताओं के प्रस्तावों को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा जो उक्त पात्रता मानदंडों को पूरी तरह पूरा नहीं करते हैं। उक्त उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाली सलाहकार फर्मों पर तकनीकी मूल्यांकन के अगले चरण के लिए विचार किया जाएगा। 'पात्रता मानदंड' पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

लिफाफा 1 :(पात्रता मानदंड): वांछित प्रमाण पत्र और पात्रता संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य, अनुलग्नक 3 के अनुसार लिफाफा-1 में अलग से बैंक के दिये गये पते पर भेजें।

बिड पूर्व पूछताछ :

फर्मको आरएफपी के नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक जांच परख, उनके स्कोप को समझ लेना चाहिए और स्पष्टकरण लेने चाहिए, यदि अपेक्षित हो। बिडकर्ताओं को ऐसे सभी मामलों में, लिखित में पहले ही आरएफपी के उसी क्रमानुसार आरएफपी की संबंधित पृष्ठ संख्या और अनुच्छेद संख्या लिख कर भेजना चाहिए। संदेहास्पद स्पष्टीकरण के बिंदुओं के बारे में सभी पत्राचार, यदि कोई हो, आरएफपी समन्वयक को लिखित में निर्धारित समय सीमा में भेजना चाहिए।

2.11.1 तकनीकी प्रस्ताव के लिए फार्मेट

तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा-2 में शामिल) को व्यवस्थित और साफ-सुथरे ढंग से तैयार करना चाहिए। विवरणिका और पत्रकों को खुला नहीं भेजना चाहिए।

तकनीकी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रस्तावित फार्मेट निम्नानुसार है :

1. पेशगी जमा राशि (ईएमडी) – ई भुगतान का प्रमाण अपेक्षित अलग लिफाफे में रखें।
2. आवेदन राशि - ई भुगतान का प्रमाण अपेक्षित अलग लिफाफे में रखें।
3. अनुबंध-1 के अनुसार ऑफर आवरण पत्र
4. अनुबंध-5 के अनुसार वचन पत्र
5. अनुबंध-7 के अनुसार हार्ड प्रति के साथ अनुरूपता की घोषणा
6. विचारार्थ विषय/आरएफपी पर अभ्युक्ति
7. परिशिष्ट के साथ आरएफपी की प्रति, दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर मुहर लगी हो और हस्ताक्षर हो कि सभी विषयों तथा नियमों एवं शर्तों को समझ लिया है, ये लिफाफा-2 में शामिल हों।

लिफाफा-2 – तकनीकी प्रस्ताव -1 हार्ड कॉपी और सॉफ्ट प्रति

तकनीकी प्रस्ताव को एक हार्ड कापी और एक सॉफ्ट प्रति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हार्ड कापी एक मुहरबंद लिफाफे में रखें जिस पर 'तकनीकी प्रस्ताव' लिखा हो। सॉफ्ट कापी भी एक मुहर बंद लिफाफे में हो जिस पर 'तकनीकी प्रस्ताव की सॉफ्ट प्रति' लिखा हो। इन दोनों मुहर बंद लिफाफों को अन्य मुहरबंद लिफाफे में रखें जिस पर 'तकनीकी बिड: कर संबंधित मामलों में परामर्शीय सेवाओं में सहायता व उपलब्ध कराने के लिए एक फर्म की नियुक्ति' लिखा हो।

तकनीकी प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसमें आरएफपी में उल्लेखानुसार सभी सूचना होनी चाहिए, उसमें वित्तीय प्रस्ताव नहीं हो। तकनीकी प्रस्ताव में कीमत संबंधी कोई उल्लेख न हो, तकनीकी प्रस्ताव में वित्तीय प्रस्ताव की जानकारी देनेवाली फर्म को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तकनीकी प्रस्ताव की एक हार्ड कापी और एक सॉफ्ट कापी प्रस्तुत करनी चाहिए (दोनों एक बंद लिफाफे में जो बैंक को संदर्भित हो, हार्ड कापी और सॉफ्ट कापी अलग लिफाफों में हों)। तकनीकी प्रस्ताव में विचारों, समाधानों और प्रक्रिया का उल्लेख 'परामर्श का स्कोप' में हो।

प्रस्ताव के सभी संबंधित पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या डाली जाए और फर्म की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरी के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर हों। दस्तावेज पर अलग क्रमांक होने चाहिए। बिडकर्ता को इस आरएफपी के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत हस्ताक्षरी के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए।

आरएफपी के प्रत्युत्तर केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। परामर्शीय फर्म के सम्पर्क अधिकारी का नाम, ईमेल आईडी और टेलीफोन नम्बर (मोबाइल और लैंडलाइन) भी मुहर बंद लिफाफे के ऊपर अंकित होना चाहिए। ईएमडी और आरएफपी मूल्य के भुगतान का प्रमाण बैंक को प्रेषित मूल तकनीकी प्रस्ताव में होना चाहिए।

वित्तीय प्रस्ताव के लिए फार्मेट

वित्तीय प्रस्ताव अनुबंध-4 में दिये फार्मेट में होना चाहिए। वित्तीय प्रस्ताव की एक हार्ड कापी प्रस्तुत की जाए। हार्ड कापी एक मुहर बंद लिफाफे में हो जिस पर 'वित्तीय प्रस्ताव' लिखा हो। तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव वाले दो लिफाफे एक मुहर बंद लिफाफे में हों जिस पर 'कर संबंधी मामलों पर सहायता और परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक फर्म की नियुक्ति' लिखा हो।

कृपया ध्यान रखें कि वित्तीय प्रस्ताव और तकनीकी प्रस्ताव को अलग-अलग लिफाफों में ऊपर बताए अनुसार बंद किया जाए। पुनः उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय प्रस्ताव और तकनीकी प्रस्ताव दोनों को एक लिफाफे में पाये जाने पर उन प्रस्तावों को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव पर कोई शर्त लागू नहीं होनी चाहिए अन्यथा बैंक द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

तीन अलग मुहर बंद लिफाफे जिनमें पात्रता मानदंड (अनुबंध-1 के अनुसार), तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव तीन अलग लिफाफों में बैंक को नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत किये जाएं –

- लिफाफा-1 : पात्रता मानदंड, अनुबंध 03 के अनुसार
- लिफाफा-2 : तकनीकी प्रस्ताव : (2 प्रतियां- हार्ड प्रति और सॉफ्ट प्रति)
- लिफाफा-3 : वित्तीय प्रस्ताव (1 हार्ड प्रति)

प्रस्ताव के उक्त प्रत्येक सेट पर निम्नलिखित सूचना दी जाए –

1. तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव यथा अनुमत्य
2. आरएफपी नम्बर एवं दिनांक
3. फर्म का नाम

महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाए

- क) मुहर बंद बिड लिफाफे 'आरएफपी प्रत्युत्तर प्रस्तुती के बारे में मुख्य सूचना'में उल्लिखित डाक पते पर आरएफपी समन्वयक को देने चाहिए। बैंक ने बैंक की ओर से आरएफपी समन्वयक को बिड प्रक्रिया का प्रबंध करनेके लिये आरएफपी समन्वयक को नामित किया है।
- ख) सभी पूछताछ और पत्राचार बैंक के आरएफपी समन्वयक को भेजा जाए।
- ग) सभी लिफाफे अच्छी तरह मुहर बंद किये जाएं और मुहर लगाई जाए। मूल और सॉफ्ट कॉपी के बीच कोई विसंगति पाये जाने पर मूल को मान्य माना जाएगा।
- घ) सभी पत्र आरएफपी समन्वयक को संबोधित किये जाएं।
- ङ) प्रत्येक प्रतिभागी को केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। यदि एक ही संगठन से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए तो सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए बैंक द्वारा मान्य माना जाएगा। बाकी सभी प्रत्युत्तरों को निरस्त माना जाएगा और यदि बैंक द्वारा स्वीकार किया गया तो वह बैंक और चयनित प्रतिभागी के बीच निष्पादित अंतिम संविदा का भाग बनेगा।
- च) हस्ताक्षर रहित प्रस्तावों को अपूर्ण मान कर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.12 पेशगी जमा राशि

बिडकर्ता को अपनी बिड प्रस्तुत करते समय बैंक द्वारा 'आरएफपी प्रत्युत्तर प्रस्तुती पर प्रमुख सूचना' खंड में उल्लिखित निर्दिष्ट दर पर पेशगी राशि (ईएमडी- बिड प्रतिभूति) जमा करनी होगी। पेशगी जमा राशि बिडकर्ता के व्यवहार जोखिम से बैंक को सुरक्षा के लिए अपेक्षित होती है।

पेशगी जमा राशि केवल भारतीय रूपये में होगी और उसका भुगतान 'राष्ट्रीयआवास बैंक' के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान करना होगा। लेखा ब्योरा परिशिष्ट-क में दिया गया है।

उक्त अनुसार अप्रतिभूतिकृत किसी भी बिड को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा। बिडकर्ता की पेशगी जमा राशि को बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा यदि बिडकर्ता बिड वैधता अवधि के दौरान अपनी बिड वापस लेता है।

असफल बिडकर्ता जिनका चयन नहीं किया गया - पेशगी जमा राशि बैंक द्वारा चयन प्रक्रिया बंद होने से तीन सप्ताह में लौटा दी जाएगी। असफल बिडकर्ताओं को पेशगी जमा राशि पर किसी भी ब्याज या किसी अन्य प्रभार/ दावे/ प्रति दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।

सफल बिड विजेता द्वारा देय प्रतिभूति जमा - सफल बिडकर्ता को कुल संविदागत मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान पूरी संविदा अवधि के लिए, चयन होने के बारे में बैंक से पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों में करना होगा। चयनित बिडकर्ता की पेशगी जमा राशि को प्रतिभूति जमा राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। चयनित बिडकर्ता की पेशगी जमा राशि जब्त हो सकती है यदि चयनित बिडकर्ता बैंक द्वारा मान्य पार्टनर के रूप में चयन के बारे में पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

2.13 वित्तीय प्रस्ताव

वित्तीय प्रस्ताव में मूल्य संबंधित सभी संगत सूचना होनी चाहिए और वह तकनीकी प्रस्ताव से किसी भी प्रकार प्रतिकूल न हो। निर्दिष्ट मदों की कोई छुपी लागत नहीं होनी चाहिए। मूल्य भारतीय रूपये में हो और उस प्रस्तावित मूल्य में अन्य सभी प्रभार और किसी प्रकार का उपकर, सांविधिक करों के अतिरिक्त, शामिल हों। बैंक बिड में गणितीय परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी नहीं है। बिडकर्ता को सभी गणनाओं का सही होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बैंक किसी भी समय किसी भी कारण से बिडकर्ता द्वारा की गई किन्हीं मान्यताओं के लिये उत्तरदायी नहीं है। बैंक बिडकर्ता के किसी भी तर्क को या वाणिज्यिक प्रस्ताव में इन मान्यताओं के आधार पर संशोधनों को बाद में स्वीकार नहीं करेगा।

आवेदक को वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अनुबंध-4 फार्मेट के अनुसार शुल्क उल्लिखित करना चाहिए।

3 विचारार्थ विषय

3.1 भूमिका और परियोजना की रूपरेखा

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्वाधीन एक सांविधिक संगठन, की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। रा0आ0 बैंक आवास वित्त कंपनियों के लिये एक विनियामक है। यह वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, सहकारी क्षेत्र के संस्थानों, आवास एजेंसियों आदि को विभिन्न योजनाओं के अधीन वित्त प्रदान करता है जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को लाभ मिलता है। रा0आ0 बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में और क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलूरु, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल में स्थित हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक (यहां के बाद इसे 'बैंक' संदर्भित किया गया है) का अर्थ जबतक कि इस संदर्भ में या उस अर्थ में असंगत न हो, का अर्थ होगा और उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं), इस बिड दस्तावेज को जारी करता है, इसके बाद इसे 'प्रस्ताव के लिये आमंत्रण' (आरएफपी) कहा जाएगा, कर संबंधित मामलों में (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों) सहायता देने और परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये किसी कर सलाहकार फर्म की नियुक्ति के लिये बिडिंग प्रतियोगिता में भाग लेने पर 'बिडकर्ता या परामर्शदाता' कहा जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक कर संबंधित मामलों में (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों) सहायता देने और परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये किसी कर सलाहकार फर्म को नियुक्त करना चाहता है।

3.2 प्रयोजन

बैंक इस प्रयोजन हेतु सक्षम फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है जो इस आरएफपी में भाग लेने की इच्छुक हैं और उन्हें पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए और उन्हें उल्लिखित तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन करने की स्थिति में भी होना चाहिए तथा इस आरएफपी के अनुसार अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त, बिडकर्ता को इस आरएफपी में निर्दिष्ट हमारे सभी नियमों एवं शर्तों से भी सहमत होना चाहिए।

3.3 परियोजना का स्कोप

राष्ट्रीय आवास बैंक सभी प्रकार के कर संबंधित मामलों में (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों) सहायता देने और परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये किसी कर सलाहकार फर्म को नियुक्त करना चाहता है। चयनित सलाहकार बैंक द्वारा देय सभी प्रकार के करों का सत्यापन करने और बैंक द्वारा किये सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों में करों को अंतिम रूप देने के लिये उत्तरदायी होगा। उनसे बैंक द्वारा संदर्भित किसी कर संबंधी मामले में सलाह देने की अपेक्षा की जाती है, अतएव बैंक को कराधान में विवाद मुक्त करना है। यह आशा की जाती है कि चयनित फर्म की टीम को इस क्षेत्र में अपेक्षित निपुणता, अनुभव, क्षमता और ज्ञान होगा जो मोटेतौर से नीचे दिये विषयों पर विचार करेगी। यह सूची पूर्ण नहीं है और इसे केवल एक रूपरेखा माना जाए। निर्धारित कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :

- आयकर अधिनियम के तहत तिमाही आधार पर अग्रिम कर की गणना,
- तिमाही/छमाही/वार्षिक खाता बंदी के लिये आयकर और आस्थगित कर के लिये प्रावधानों की गणना,
- बैंक की आयकर विवरणी तथा अन्य कोई संबंधित विवरणियां तैयार करना और दायर करना,
- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की कार्यवाहियों में सहायता करना यथा कर विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण तैयार करना और कर प्राधिकारियों के समक्ष पेश होना,
- कर प्राधिकारियों को प्रस्तुत कियेजाने वाले अपेक्षित आवेदन तैयार और दायर करना,
- अपील लिए प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपीलें तैयार करना और पेश होना (बैंक द्वारा उस मुकदमे के लिये अलग से कोई एडवोकेट नहीं लाया जाएगा और किसी अतिरिक्त फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा),
- कर प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना,
- प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की यथा स्थिति रिपोर्ट तिमाही आधार पर तैयार करना,
- कर संबंधित विभिन्न दैनिक मामलों में रा0आ0 बैंक को सूचना /राय देना,
- किन्हीं कर कानूनों में बदलाव और उनकी जटिलताओं के बारे में नवीनतम जानकारी देना/मार्गदर्शन करना,
- कर प्लानिंग,
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमाण पत्र जारी करना, यदि कोई हो,
- आयकर संबंधी अन्य सभी मामले,

- स्टाफ की कर देयता की गणना और संविदाकारों, परामर्शदाताओं, किराये, अप्रवासी भारतीयों को भुगतान और ब्याज भुगतानों के टीडीएस का सत्यापन,
- बैंक पर लागू वर्तमान नियमों के अनुसार मासिक टीडीएस की गणना/जांच करना,
- तिमाही टीडीएस विवरणियां दायर करना,
- रा0आ0 बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तों से संबंधित टीडीएस गणना का सत्यापन और प्रपत्र-16 के अनुसार टीडीएस प्रमाणपत्र का सत्यापन,
- डब्ल्यूसीटी और सेवा कर देयता की मासिक आधार पर गणना/सत्यापन के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट का उपयोग,
- सेवा कर विवरणी तैयार करना और उसे सेवा कर विभाग को प्रस्तुत करना,
- डब्ल्यूसीटी विवरणी तैयार करना और वैट विभाग को प्रस्तुत करना,
- विदेश विप्रेषण, जैसे फार्म-15सीबी के मामले में टीडीएस एवं डीटीएए के अनुसरण में प्रमाण पत्र जारी करना, यदि कोई हों,
- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के करों की गणना की जांच करना,
- कारण बताओ नोटिस के सिलसिले में कर प्राधिकारियों के समक्ष पेश होना,
- वार्षिक सूचना रिपोर्ट तैयार करना,
- रा0आ0 बैंक की ईसीबी विवरणियों का प्रमाणन,
- उन राज्यों में जहां रा0आ0 बैंक कार्य कर रहा है, राज्य स्तर पर अनुपालन जो केवल स्थानीय कर प्राधिकारियों के यहां पंजीकरण, विवरणियां, यदि कोई हो, तैयार करना और दायर करना, जीएसटी के साथ-साथ वर्तमान कर व्यवस्था के तहत विभिन्न राज्यों में स्थानीय करों की उपयोज्यता आदि तक ही सीमित नहीं है,
- नई कर व्यवस्थाओं जैसे जीएसटी और इंड एस के अनुरूप बनने में सहायता करना,
- आयकर गणना प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) के अनुपालन में सहायता करना,
- जीएसटी के साथ-साथ वर्तमान कर व्यवस्था के तहत बैंक के सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करना और तिमाही आधार पर प्रमाणन करना कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से संबंधित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन बैंक द्वारा किया गया,
- रा0आ0 बैंक के अधिकारियों को कर संबंधी विभिन्न पहलुओं पर छमाही आधार पर प्रशिक्षण देना,
- रा0आ0 बैंक पर लागू विभिन्न कर अनुपालनों पर संदर्भ पुस्तिका तैयार करना और वार्षिक आधार पर अद्यतन करना,
- बैंक के सभी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों पर लागू वर्तमान कानूनों के अनुसार फार्म 16 और फार्म 12बी या कोई अन्य संबंधित फार्म तैयार करना,
- बैंक के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किन्हीं बकाया भुगतानों पर कर की गणना करना,
- बैंक के कर्मचारियों के लिये लागू किसी नई योजना/भत्तों पर कर की गणना करना,

- बैंक द्वारा परामर्शदाता को सौंपे किसी अन्य कर संबंधी मामले पर कार्रवाई करना।

कर परामर्शदात्री फर्म द्वारा रा0आ0 बैंक के सभी मामलों के लिये किसी एक सनदी लेखाकार (सीए) को नियत करने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य तृतीय पक्ष को कार्य उप सविदा पर देने की अनुमति नहीं होगी।

कर संबंधी मामलों में निपुण किसी एक अर्हक सीए/सीएमए को रा0आ0 बैंक में माह में कम से कम 5 कार्य दिवसों के लिये तैनात किया जाए। बैंक वाणिज्यिक सेक्शन उल्लिखित वार्षिक परामर्शीय प्रभारों के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।

यद्यपि, जरूरत के आधार पर, परामर्शीय फर्म से रा0आ0 बैंक कार्यालय में एक सलाहकार भेजने की जरूरत हो सकती है तो बैंक उसके लिये वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित मानव दर आधार पर भुगतान करेगा।

4. मूल्यांकन प्रक्रिया

4.1 तकनीकी प्रस्ताव खोलना

निर्धारित तारीख और समय में प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को बिड करने वाली फर्मों उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे जो आरएफपी दस्तावेज में उल्लिखित प्रस्ताव खोलने की निर्दिष्ट तारीख और समय पर उपस्थित रहना चाहेंगे। फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास फोटो पहचान पत्र हो, वे उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिनिधियों को फर्म द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें फर्म की ओर से बिड खोलने के समय उपस्थित रहने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

4.2 प्रारम्भिक जांच

बैंक प्राप्त प्रस्तावों की यह देखने के लिये जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं और आरएफपी की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, क्या मांगे गये अनुसार तकनीकी प्रलेखन प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, क्या प्रलेखन पर उचित ढंग से हस्ताक्षर किये गये हैं और क्या आरएफपी की अपेक्षाओं के अनुरूप मर्दाने प्रस्तुत की गई हैं। बैंक प्रस्तुतीकरण के लिये फर्मों को तारीख, समय और स्थान की सूचना भेजेगा।

बैंक द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी आधार पर मूल्यांकन करके उन्हें निर्दिष्ट अंकन प्रणाली के अनुसार जो तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन मानदंड के तहत दी गई है, तकनीकी अंक दिये जाएंगे। जिन बिडों को कुल 100 अंकों में 70 या अधिक तकनीकी अंक प्राप्त होंगे उन्हें तकनीकी आधार पर अर्हक पाया जाएगा और तकनीकी आधार पर पाई अर्हक बिडों पर आगे विचार करके टेक्नो वाणिज्यिक मूल्यांकन मानदंड के तहत दी गई मूल्यांकन विधि के अनुसार 'सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली फर्म' का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि, बैंक निर्धारित अंक सीमा को कम करने का अधिकार रखता है यदि पर्याप्त संख्या में बिडें उपर्युक्त उल्लेखानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

परियोजना के लिये नियुक्त किये जाने वाले प्रमुख कार्मिकों की सूची पत्र शीर्ष पर प्रेषित करें जिसमें उनके नाम, आयु, योग्यता और अनुभव का उल्लेख हो। कृपया ध्यान दें कि तकनीकी प्रस्ताव में प्रस्तावित टीम को ही बैंक में निर्दिष्ट कार्य के लिये तैनात किया जाए। प्रस्तुतीकरण के दौरान, बैंक उन कार्मिकों का साक्षात्कार कर सकता है और निर्णय लेगा कि उन्हें

परियोजना के लिये तैनात किया जाए या नहीं। बैंक आवश्यकतानुसार कार्मिकों में बदलाव की मांग कर सकता है। बैंक को अधिकार होगा कि वह 'नालेज पार्टनर' के नियुक्ति निर्णय की कभी भी समीक्षा कर सकता है।

4.3 तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन मानदंड

बैंक की तकनीकी मूल्यांकन समिति के सामने प्रस्तुतीकरण पात्र, चयनित फर्मों द्वारा मुख्य चुनौतियों की समझ, प्रस्तावित प्रणाली और कार्य करने के ढंग, बैंक में गतिविधियोंके क्रियान्वयन के लिए समय सीमा और प्रस्तावित टीम पर प्रकाश डालना होगा। फर्म की तकनीकी क्षमताओं और सक्षमता पर प्रस्तुतीकरण में स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला जाए। प्रस्तुतीकरण के लिये तारीख और समय की जानकारी बैंकद्वारा दी जाएगी, उसके बाद कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तकनीकी प्रस्ताव में फर्मों द्वारा प्रस्तुत ब्योरे और बैंक की तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष उनके द्वारा किये प्रस्तुतीकरण के आधार पर, पात्र फर्मों का तकनीकी मूल्यांकन नीचे किये उल्लेखानुसार किया जाएगा :

क्रमांक	ब्योरा	मूल्यांकन के लिए अधिकतम पात्रता अंक
1	अर्हता प्राप्त सीए/सीएमए, कराधान मामलों के ज्ञान सहित, की संख्या (कर प्राधिकारियों के साथ अपीलीय कार्रवाई सहित) (बिडकर्ता कार्मिकों की सूची देगा जिसमें अर्हता, पद, अनुभव वर्ष की सं० आदि ब्योरा होगा) 10 से अधिक 5 से अधिक किंतु 10 या उससे कम	15 10
2	पिछले 5 वर्षों में कर परामर्शदाता के रूप में कितने मुवक्किलों के साथ कार्रवाई की – 10 से अधिक 5 से अधिक किंतु 10 या उससे कम 2 से अधिक किंतु 5 या उससे कम	15 10 05
3	मुवक्किलों से संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र 10 से अधिक 5 से अधिक किंतु 10याउससे कम 2 से अधिक किंतु 5 या उससे कम	10 07 05
4	फर्म का कारोबार (पिछले 3 वर्षों का औसत कारोबार) 2 करोड़ रूपए से अधिक 1 करोड़ रूपए से अधिक किंतु 2 करोड़ रूपए या उससे कम	15 10
6	आईटीएटी मामलों में कार्रवाई का अनुभव 10 से अधिक 5 से अधिक किंतु 10 या उससे कम	25 20

	2 से अधिक किंतु 5 या उससे कम	10
7	प्रस्तावित साल्यूशन पर प्रस्तुतीकरण और टीम की तैनाती	20

80 अंकों (प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त) में से 50 अंक से कम पाने वाले बिडकर्ताओं को प्रस्तुतीकरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

4.3.1 टेकनो-वाणिज्यिक मूल्यांकन मानदंड

यह टेकनो वाणिज्यिक मूल्यांकन होगा और तदनुसार तकनीकी मूल्यांकन के 60 होंगे और वाणिज्यिक मूल्यांकन के 40 अंक होंगे। सफल फर्म का निर्णय लेने के लिए इसी आधार पर विचार किया जाएगा। मूल्यांकन विधि और अंकन विधि निम्नानुसार है :

बिडकर्ता द्वारा उल्लिखित वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिये, शुल्क पर विचार किया जाए (मूल्य ‘जेड’ जो अनुबंध 4में दिया गया है।)

निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर सभी तकनीकी अर्हक फर्मों के लिए अंकों की गणना की जाएगी :

$$\text{एस} = (\text{टी}/\text{टी हाई} \times 60) + (\text{जेड कम}/\text{जेड} \times 40)$$

जबकि :

एस - फर्म के प्राप्तांक

टी - फर्म के तकनीकी अंक

टी हाई - फर्मों में उच्चतम तकनीकी अंक

जेड - वही जो फर्म द्वारा दिया गया है

जेड कम - फर्मों में सी में सबसे कम दिया

उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली फर्म सफल फर्म होगी।

4.4 पात्रता तथा तकनीकी प्रस्ताव

इस चरण में सफलता हेतु बिडकर्ता के लिए पात्रता मानदंड अनुबंध 03 में स्पष्ट दिया गया है – इस दस्तावेज का पात्रता मानदंड का अनुपालन। बिडकर्ता को पात्रताप्रमाण के लिये संबंधित दस्तावेज देने होंगे। तकनीकी उपयुक्तता के लिये तकनीकी प्रस्ताव का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान, बैंक अपने निर्णयानुसार बिडकर्ताओं से उनकी निविदा के बारे में पूछताछ कर सकता है। पूछताछ और उत्तर लिखित होंगे और निविदा के विषय में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताय पूरा या अंशता स्वीकार करे। बैंक का निर्णय अंतिम होगा जो इस दस्तावेज के सभी बिडकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा तथा बैंक इस विषय में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

5 निबंधन व शर्तें

5.1 सामान्य

5.1.1 सामान्य शर्तें

बैंक चयनित बोलीदाता से यह अपेक्षा करता है कि वे इस आरएफपी के निबंधनों का पालन करें एवं उक्त पर किसी प्रकार व्यतिक्रम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जब तक कि बैंक एवं चयनित बोलीदाता के बीच संपन्न होने वाले विनिर्दिष्ट करार द्वारा स्पष्ट तौर पर अभिभावी न हो यह आरएफपी बैंक एवं बोलीदाता के बीच करार करने का शासी दस्तावेज होगा।

बैंक अपेक्षा करता है कि इस आरएफपी के तहत नियुक्त बोलीदाता के पास सभी प्रदेशों को पूरा करने एवं बैंक द्वारा अपेक्षित सभी प्रदेश एवं सेवाएं उपलब्ध कराने की एकमात्र जिम्मेदारी लेनी होगी।

जब तक कि जारी आरएफपी में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए बैंक लिखित में विशेष तौर पर सहमत न हो, बोलीदाता के प्रत्युत्तर इस आरएफपी में स्वतः समाविष्ट नहीं किए जाएंगे।

5.1.2 इस आरएफपी का प्रत्युत्तर देने के नियम

‘आरएफपी के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने पर मुख्य सूचना’में उल्लिखित देय तिथि/समय के पश्चात प्राप्त सभी प्रत्युत्तर को देरी से प्राप्त माना जाएगा एवं ऐसे प्रत्युत्तरों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

सभी प्रत्युत्तर अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। इस आरएफपी में बोलीदाताओं के सभी प्रत्युत्तर उस बोलीदाता पर तकनीकी बोली खुलने के पश्चात 90 दिनों की अवधि के लिए बाध्यकारी होंगे।

बोलीदाताओं से बोली के सभी प्रत्युत्तर अप्रतिसंहरणीय पेशकश/प्रस्ताव माने जाएंगे एवं बैंक एवं बैंक द्वारा चयनित बोलीदाता(ओं) के बीच अंतिम संविदा के हिस्से के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। अहस्ताक्षरित प्रत्युत्तरों को अपूर्ण माना जाएगा एवं अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

एक बार जब बोली प्रस्तुत कर दी जाय तो बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात वापस/संशोधित नहीं की जा सकती जब तक कि बैंक विशेष तौर पर अनुमति न दे। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैंक तकनीकी बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों के भीतर संविदा प्रदान नहीं करता है एवं कम अवधि के भीतर उक्त को प्रदान किए जाने की संभावना है तो बोलीदाता के पास बैंक में धरोहर राशि रखने अथवा वापिस लेने एवं प्रदत्त जमानत राशि प्राप्त करने विकल्प होगा।

बोलीदाता प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात अपने प्रस्ताव में संशोधन अथवा वापिस ले सकता है परंतु यह कि बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित बंद होने की तिथि अथवा समय से पूर्व संशोधन अथवा वापसी का लिखित में नोटिस प्राप्त हो। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि व समय बंद होने के बाद बोलीदाता द्वारा कोई प्रस्ताव संशोधित व वापस नहीं किया जाएगा। बैंक के पास अपने विवेकाधिकार पर जैसा ठीक समझे आरएफपी में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

इस दस्तावेज के साथ उपलब्ध प्रारूपों को विस्तार से विधिवत भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैंक के पास तकनीकी

अपेक्षाओं में परिवर्तन करने की अनुमति न देने एवं अपेक्षित प्रारूप में तकनीकी विवरण प्रस्तुत न करने एवं तकनीकी विवरण आंशिक रूप से प्रस्तुत करने के मामले में प्रस्ताव का मूल्यांकन न करने का अधिकार सुरक्षित है।

बोलियों की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में विसंगति के मामले में यदि बोलीदाता सहमत हो जाता है कि बैंक हार्ड कॉपी को अंतिम के तौर पर मूल मान सकता है तो यह बोलीदाता को बाध्यताकारी होगा। इस मामले में बैंक पूरी तरह से प्रस्ताव को अस्वीकृत भी कर सकता है।

बोलीदाता किसी भी समय पर बैंक द्वारा किसी दावों से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है जो भी निबंधन एवं शर्तों एवं अन्य अनुसूचियों के अनुरूप में उनके व्यतिक्रम के हैं जैसा बैंक द्वारा परिचालित आरएफपी में उल्लिखित है। बोलीदाता निबंधन एवं शर्तों के व्यतिक्रम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा जो इस आरएफपी में प्रस्तावित है।

यदि संबंधित बोलीदाता (जैसा नीचे परिभाषित है) एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है तो बैंक के विवेक पर किसी भी चरण में संबंधित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दोनों/सभी बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएगी:

- क) धारक कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बोलियां
- ख) समान निदेशक(गण) वाली दो अथवा उससे अधिक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बोलियां
- ग) समान साझीदारी वाली दो अथवा उससे अधिक कंपनियों/एलएलपी द्वारा प्रस्तुत बोलियां
- घ) समान समूह के प्रवर्तकों/प्रबंधन में दो अथवा उससे अधिक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बोलियां

बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार में कोई अन्य बोली जो एक से अधिक बोलियों की प्रकृति में हों।

5.1.3 बोली की कीमत

कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि पेशेवर सेवाओं के लिए रूपये में कीमत उद्धृत करें जो फुटकर खर्च सहित एवं लागू सेवा कर छोड़कर हो। यह भी ध्यान दें कि बैंक सहमत पेशेवर शुल्क एवं लागू सेवा करों के अलवा यात्रा व आवास इत्यादि जैसे कोई अन्य राशि अथवा अन्य खर्चों का भुगतान नहीं करेगा। बैंक भुगतान करते समय लागू दरों के अनुसार सेवा कर अथवा अन्य सांविधिक करों का भुगतान करेगा। सलाहकार कंपनी से प्रचलित दर पर टीडीएस राशि की कटौती की जाएगी। सलाहकार कंपनी अपना शुल्क उद्धृत करते समय नियत कार्य की अवधि के दौरान सामने आने वाली सभी परिस्थितियों एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखेगी।

5.2 अन्य

इस आरएफपी के प्रत्युत्तरों को बैंक की ओर से किसी सेवाओं एवं समस्त सेवाओं का अनुबंध प्रदान करने की बाध्यता के तौर पर समझा जाए। बैंक द्वारा बोलीदाता का चयन न करने के कारण बैंक के विरुद्ध कोई भी दावा जो भी हो, नहीं किया जाएगा। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी निविदा को पूर्ण अथवा हिस्से में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बोलीदाता, बोलीदाता के संगठन को प्रदान किए गये किसी कार्य के लिए बैंक के साथ तुरंत संविदा करने को सहमत होगा, बोलीदाता द्वारा बैंक के साथ वैध संविदा का निष्पादन न करने पर बैंक बोलीदाता को

किसी बाध्यता के कार्य मुक्त कर देगा एवं चयन प्रक्रिया के आधार पर अलग बोलीदाता का चयन किया जा सकता है। निबंधन व शर्तें जो आरएफपी में विनिर्दिष्ट हैं एवं इसके बाद के परिशिष्ट (यदि कोई जो बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट www.nhb.org.in में अधिसूचित होंगे) अंतिम हैं एवं बोलीदाताओं पर बाध्यताकारी हैं। बोलीदाता द्वारा बैंक की निबंधन व शर्तें स्वीकार करने की अनिच्छा की दशा में बोलीदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कोई अतिरिक्त अथवा अलग निबंधन व शर्तें अस्वीकृत कर दी जाएंगी जब तक कि बैंक द्वारा स्पष्ट तौर लिखित में सहमति न दी जाय एवं बैंक द्वारा लिखित में स्वीकार न की जाए।

बोलीदाता को अपने प्रस्ताव में अभिज्ञात एवं बैंक द्वारा सहमत प्रदेय तिथि अथवा समय सीमा का कड़ाई से पालन करना है, इन प्रदेय तिथियों पर कार्य पूरा न करने पर, जब तक कि यह पूरी तरह से बैंक के कारण न हो, बोलीदाता के कार्य निष्पादन का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा होने पर यदि प्रमाणित प्रदेय तिथि को कार्य पूरा करने में बोलीदाता की असमर्थता अथवा बोलीदाता की वहज से अन्य किसी कारणों से बैंक प्रदान की गई संविदा (इस आरएफपी के संबंध में) को निरस्त करने पर मजबूर होता है तो वह बोलीदाता बैंक द्वारा पुनः अधिप्राप्ति में हुए व्यय की लागत देने का जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में देयता बैंक द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त अंतर की राशि तक सीमित की जा सकती है। इस आरएफपी के अनुसार अपेक्षित सेवा स्तरों के लिए सभी निबंधन व शर्तें, भुगतान अनुसूची एवं समय सीमा परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि बैंक बोलीदाता को लिखित में स्पष्ट तौर पर सूचित न करे। बैंक सेवा के किसी भी पहलू के संबंध में बोलीदाता द्वारा किए गये किसी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता समय में किसी भी बिंदु पर बैंक द्वारा किसी दावों से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है जो भी निबंधन व शर्तें, भुगतान अनुसूची एवं अपेक्षित सेवा स्तर इत्यादि जो इस आरएफपी में उल्लिखित है के अनुरूप में उनके व्यतिक्रम के हैं।

बैंक एवं बोलीदाता निम्नलिखित अन्य पक्ष की वाचाएं एवं प्रतिनिधित्व करते हैं:

- क) यह राज्य जहां ऐसा पक्ष निगमित है, के कानूनों के अनुसार निगमित है, वैधता मौजूदगी एवं अच्छी स्थिति में है।
- ख) इसके पास करार संपन्न करने एवं इसके तहत अपने दायित्व का निष्पादन करने का कार्पोरेट शक्ति एवं प्राधिकार है। ऐसी पार्टी द्वारा करार के तहत निबंधन व शर्तों का निष्पादन, प्रदेय एवं कार्य निष्पादन एवं इसके तहत अपने दायित्वों का कार्य निष्पादन सभी आवश्यक कार्रवाई द्वारा विधिवत प्राधिकृत एवं अनुमोदित हैं एवं किसी करार के तहत निष्पादन, प्रदेय एवं कार्य निष्पादन करने के प्राधिकृत करने के लिए ऐसे पक्ष की ओर से कोई अन्य कार्रवाई आवश्यक नहीं है।

ऐसे पक्ष द्वारा किसी करार के तहत निष्पादन, प्रदेय एवं कार्य निष्पादन

- क) निगमन के अपने दस्तावेजों के किसी उपबंध का उल्लंघन अथवा अवहेलना नहीं करेगा:
- ख) किसी कानून, विधान, नियम, विनियम, लाइसेंस बनने की अपेक्षा, किसी न्यायालय का आदेश, प्रादेश, निषेधाज्ञा अथवा डिक्री, सरकारी साधन अथवा अन्य नियामक, सरकारी अथवा सार्वजनिक निकाय, एजेंसी अथवा प्राधिकरण का उल्लंघन अथवा अवहेलना नहीं करेगा जिसके द्वारा वह बाध्य

है अथवा जिसके द्वारा उसकी कोई संपत्ति अथवा परिसंपत्ति बाध्य की गयी है;

- ग) उस सीमा को छोड़कर जो उक्त विधिवत एवं समुचित ढंग से पूरी की गई है अथवा प्राप्त की गयी है, को किसी न्यायालय, सरकारी साधन अथवा अन्य नियामक, सरकारी अथवा सार्वजनिक निकाय, एजेंसी अथवा प्राधिकरण, संयुक्त उद्यम पक्ष अथवा किसी अन्य संस्था अथवा व्यक्ति जो भी हो, से किसी अनुमति, सहमति अथवा अनुमोदन अथवा लाइसेंस अथवा कोई नोटिस देने आवश्यकता नहीं होगी।

बोलीदाता को समय-समय पर परियोजना के हिस्से के तौर पर सौंपे गये विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने में उपयुक्त व्यक्ति के साथ अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन देना होगा।

बैंक इस आरएफपी का प्रत्युत्तर तैयार करने में बोलीदाता द्वारा किए गये कोई व्यय नहीं मानेगा एवं बोलीदाता को प्रस्ताव के दस्तावेज भी वापिस नहीं करेगा।

बैंक इस संबंध में निष्पादित किए गये किसी परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन इत्यादि अथवा प्रस्ताव अथवा प्रस्तावित संविदा अथवा किसी कार्य के लिए बोलीदाता द्वारा खर्च की गयी किसी लागत का वहन नहीं करेगा।

5.3 आरएफपी की अन्य अपेक्षाएं

इस आरएफपी में बैंक द्वारा संविदा प्रदान किए जाने से पूर्व या तो जोड़ना अथवा विलोपन अथवा संशोधन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। बैंक के पास आरएफपी के पात्रता मानदंड एवं उसके बाद के परिशिष्ट सहित किसी निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है यदि ऐसा अपने विवेकाधिकार पर आवश्यक समझे। बैंक बदलावों के बारे में यदि कोई हों, की सभी बोलीदाताओं को सूचना देगा।

बैंक संविदा प्रदान करने तक किसी भी चरण में लिखित परिशिष्ट उपलब्ध कराते हुए इस आरएफपी के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकता है। बैंक के पास संविदा प्रदान करने की तिथि से पूर्व किसी भी समय पर इस आरएफपी में संशोधन जारी करने का अधिकार सुरक्षित है। ये परिशिष्ट यदि कोई हों, बैंक की वेबसाइट में ही प्रकाशित होंगी।

बैंक के पास इस दस्तावेज के प्रस्तुत्तर प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

बोलीदाता के पास अपने प्रत्युत्तर को अंतिम रूप देने से पूर्व अपने किसी प्रकार की समस्याओं को स्पष्टीकरण के लिए आरएफपी से संबंधित संदेहों को स्पष्ट करने का अवसर होगा। सभी प्रश्न 'आरएफपी प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने पर महत्वपूर्ण सूचना' में उल्लिखित आरएफपी समन्वयक को प्रस्तुत करनी होगी जो निर्धारित तिथि जो समय सीमा की अनुसूची में स्पष्ट की गयी है, से पूर्व ईमेल के माध्यम से लिखित में संविदा के नामित समय पर प्राप्त होनी चाहिए। प्रश्नों के प्रत्युत्तर एवं कोई अन्य सुधार एवं संशोधन आरएफपी के परिशिष्ट के रूप में बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। वितरण का चयन बैंक के पास होगा। बोलीदाता जिसने प्रश्न उठाये हैं गुप्त रहेगा।

प्रारंभिक संवीक्षा: बैंक प्राप्त प्रस्तावों का निर्धारण करने की संवीक्षा करेगा चाहे वे पूर्ण हों, चाहे प्रस्ताव में कोई त्रुटियां

की गयी हों, चाहे अपेक्षित प्रलेखीकरण प्रस्तुत किए गये हों, चाहे दस्तावेज उचित ढंग से हस्ताक्षरित हों, चाहे मदें अनुसूची के अनुसार उद्धृत हों। बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी प्रस्ताव में मामलू गैर अनुरूपता अथवा मामलू विंगसति को माफ कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा एवं बैंक के पास ऐसी माफी देने का अधिकार सुरक्षित है एवं मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

प्रस्तावों का स्पष्टीकरण: प्रस्तावों की संवीक्षा, मूल्यांकन एवं तुलना करने में सहायता करने के लिए बैंक अपने विवेकाधिकार से कुछ अथवा सभी बोलीदाताओं से अपने प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। बैंक के पास ऐसे बोलीदाता को अयोग्य ठहराने का अधिकार है जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तावित परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

इस आरएफपी के मूल्य द्वारा निम्नतम वित्तीय प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रतिबद्धता नहीं – बैंक इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त निम्नतम मूल्य बोली अथवा कोई अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा एवं बिना कारण बताये जो भी हो, देर से प्राप्त अथवा अधूरे प्रस्ताव साहित कोई अथवा सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा। बैंक के पास इस संविदा के निबंधन व शर्तों में कोई बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक किसी बोलीदाता के साथ तब तक मिलने एवं परिचर्चा करने एवं/अथवा कोई अभ्यावेदन सुनने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि संविदा के निबंधन व शर्तों में बदलाव न हो।

संशोधन: मिटाये गये अथवा संशोधनों से युक्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में कोई हाथ से लिखी सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा गया हो। पेश किये जा रहे साधनों की सही सूचना अवश्य भरी जाए। ‘ओके’, ‘स्वीकार है’, ‘देख लिया है’, ‘जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है’ जैसे शब्द के उपयोग से भरी गयी सूचना स्वीकार्य नहीं है। बैंक ऐसे प्रस्तावों को इन दिशानिर्देशों को अस्वीकार्य के तौर पर पालन न करना मान सकता है।

नियत कीमत: वित्तीय प्रस्ताव में वाणिज्यिक बोली शामिल होगी जो पेशेवर शुल्क एवं फुटकर खर्च को छोड़कर नियत शुल्क के आधार पर होगी।

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार: बैंक के पास इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक के पास अपेक्षा के हिस्से के तौर पर विनिर्दिष्ट मदों की सूची से एक अथवा एक से अधिक मदों को जोड़ने/संशोधित करने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक बदलावों यदि कोई हों, के बारे में सभी बोलीदाताओं को सूचित करेगा। बोलीदाता इस पर सहमत होगा कि बैंक के पास इस संविदा की अवधि के लिए मदों पर जोड़ने अथवा हटाने की कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त बोलीदाता इस पर सहमत होगा कि बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमतें कार्यक्षेत्र में ऐसे जोड़ने/संशोधन करने/हटाने से समानुपातिक आधार पर समायोजित कर ली जाएगी।

यदि बैंक इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों से संतुष्ट नहीं है एवं प्रस्तावों में अत्यधिक व्यतिक्रम दिखाई देते हैं तो बोलीदाता के ऐसे प्रस्ताव आगे मूल्यांकन के लिए नहीं छांटे जाएंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसे बोलीदाताओं के साथ आगे कोई चर्चा करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोलीदाता बैंक को अपने द्वारा आपूर्तित जिस भी स्रोत से हों, प्रदेयों/आदान/सामग्री के संबंध में पेटेंट, ट्रेड मार्क,

कॉपीराइट इत्यादि के उल्लंघन अथवा सभी प्रचलित कानूनों के अधीन कोई अन्य सांविधिक उल्लंघनों के परिणामस्वरूप सभी दावों, हानि, लागत, क्षति, व्यय, कार्रवाई, मुकदमों एवं अन्य कार्यवाहियों के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, सुरक्षित करेगा एवं बचाएगा परंतु यह कि बैंक बोलीदाता को लिखित में सूचित करेगा जहां तक व्यावहारिक हो जब बैंक को उस दावे के बारे में पता लगता है।

चयनित बोलीदाता इस आरएफपी के तहत अपने दायित्वों का निवर्हन बैंक के एक स्वतंत्र ठेकेदार के तौर पर करेगा एवं किसी प्रदेयों अथवा सेवाओं का कार्य निष्पादन करने में उप ठेकेदारों को काम पर लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न तो इस आरएफपी और न ही इस आरएफपी के तहत बोलीदाता के दायित्वों के कार्य निष्पादन में बैंक एवं बोलीदाता अथवा इसके कर्मचारीगणों के बीच कोई संगठन, साझेदारी, संयुक्त उद्यम अथवा मूल एवं एजेंट, मास्टर एवं नौकर, नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंधनहीं होगा एवं न ही पक्ष के पास अन्य पक्ष की ओर से कोई कर्तव्य अथवा दायित्व संपन्न करने अथवा ग्रहण करने का अधिकार, शक्ति अथवा प्राधिकार (चाहे व्यक्त हो अथवा अस्पष्ट) होगा।

बोलीदाता अपने कर्मचारियों के सभी भुगतान (कोई सांविधिक भुगतान सहित) करने के लिए लिए अकेले जिम्मेदार होगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय उसके कर्मचारीगण, कर्मी अथवा एजेंट स्वयं को बैंक के कर्मचारीगण अथवा एजेंट के तौर पर समझें न ही बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गये अनुषंगी लाभों की पात्रता के दावे सहित किसी प्रयोजन अथवा किसी प्रकार आय अथवा लाभ के लिए बैंक के कर्मचारीगणों की तरह समझने की मांग नहीं करेंगे। बोलीदाता सेवाओं के स्वतंत्र ठेकेदार के तौर पर अपनी स्थिति के साथ संगत तरीके में इसमें निर्दिष्ट अपने सभी कर्मियों के लिए सभी लागू कर विवरणियां भरेगा एवं बोलीदाता समय पर सभी अपेक्षित भुगतान एवं कर जमा करेगा।

5.4 संविदा की प्रतिबद्धता

बैंक का आशय यह है कि संविदा की प्रतिबद्धता जिस पर सफल बोलीदाता से विचार किया गया है, इस आरएफपी में अंतर्विष्ट विनिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा परिभाषित अवधि के लिए होगा।

5.5 भुगतान की शर्तें

परामर्शदात्री फर्म/कंपनी का शुल्क का भुगतान फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गये बीजकों के आधार पर मासिक तौर पर किया जाएगा।

कोई भी भुगतान सेवा स्तरीय करार /गैर विगोपन करार पर हस्ताक्षर करने के बाद ही जारी किया जाएगा।

संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान

कोई भी यदि संविदा समाप्त की दी जाती है तो सेवाओं का भुगतान लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य करों की कटौती के पश्चात प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

5.6 उप संविदा देना

बैंक विचारार्थ विषय के अनुसार कार्य क्षेत्र प्रदान करने में इन-हाउस क्षमताओं से युक्त एकल बोलीदाता की अपेक्षा रखता है। अन्य कंपनियों के साथ पूर्णतया अथवा आंशिक में सेवाओं की उप संविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता अपेक्षित क्षमताओं से युक्त नहीं पाया जाता है तो वे इस नियत कार्य की प्रक्रिया से सरसरी तौर पर अयोग्य ठहराए जाएंगे।

5.7 दंड

यदि चयनित बोलीदाता द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने में विलंब होता है /बैंक द्वारा दंड/ विलंबित अदायगी प्रभार/ब्याज लगाया जाता है तो बैंक बोलीदाता से बैंक पर लगाये गये दंड/ब्याज/प्रभार का दुगुना वसूलेगा।

6 सामान्य निबंधन व शर्तें

6.1 विवाद का निवारण

बैंक एवं चयनित नॉलेज पार्टनर इस संविदा के अंतर्गत अथवा संबंध में उनके बीच कोई असहमति अथवा विवाद पैदा होने पर बैंक एवं सलाहकार के बीच सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निवारण करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

यदि बैंक के परियोजना प्रबंधक/समन्वयक एवं नॉलेज पार्टनर के परियोजना संयोजक ऐसे अनौपचारिक बातचीत की आरंभ की तिथि से तीस दिनों के बाद विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो वे अविलंब चयनित नॉलेज पार्टनर एवं बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ प्राधिकृत कर्मियों को विवाद के बारे में सूचित करेंगे।

यदि नॉलेज पार्टनर/चयनित बोलीदाता एवं बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत कर्मियों के बीच ऐसी बातचीत की आरंभ की तिथि से तीस दिनों के बाद बैंक एवं चयनित बोलीदाता सौहार्दपूर्ण ढंग से संविदात्मक विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो दोनो पक्ष को आवश्यक है कि वे विवाद को ऑपचारिक मध्यस्थ के माध्यम से समाधान के लिए भेजे।

संविदा अथवा कार्य का निष्पादन करने के अधीन अथवा में से अथवा संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद अथवा विसंगति चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान अथवा पूरा होने पर हों एवं चाहे संविदा के अवधारण, परित्याग से पूर्व अथवा बाद में हो अथवा उल्लंघन हो, दोनो पक्षों को स्वाकीर्य एकमात्र मध्यस्थ अथवा विवाद के लिए प्रत्येक पक्ष से एक मध्यस्थ नियुक्त करने का पात्र होने के कारण मध्यस्थों की संख्या तीन होगी, द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे। पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा जो कार्यावाही के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा। मध्यस्थता बैंक के कार्यालय में की जाएगी जिसने कार्य आदेश दिया है। मध्यस्थता की कार्यवाही में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 अथवा तत्संबंधी कोई सांविधिक संशोधन लागू होगा।

मध्यस्थ के अधिनिर्णय लिखित में होंगे, अधिनिर्णय के कारणों का वर्णन होगा व अंतिम होगा एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस अधिनिर्णय में अधिवक्ताओं का यथोचित शुल्क एवं संवितरण साहित अधिनिर्णय देने की लागत शामिल हो सकती है। अधिनिर्णय का निर्णय तत्संबंधी क्षेत्राधिकार वाले अथवा दिल्ली में क्षेत्राधिकार वाले किसी

न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है।

6.2 शासी कानून

तदुपरांत संविदा एवं उसमें कार्य निष्पादन किए जाने वाले में लागू भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित होंगे, नियंत्रित माने जाएंगे एवं प्रवृत्त होंगे एवं दोनों पक्ष इसके अंतर्गत पैदा होने वाले किसी विवाद के संबंध में अथवा इस करार की किसी भी शर्तों के संबंध में सहमत होंगे। केवल दिल्ली में स्थित न्यायालय को ही ऐसे विवादों को अन्य सभी न्यायालयों से मामला बाहर ले जाने की कोशिश करने एवं निर्णय देने का विशेष अधिकार होगा।

6.3 नोटिस एवं अन्य संसूचना

यदि संविदा में हस्ताक्षर करने के बाद दोनों पक्षों को सूचना भेजी जानी है तो यह लिखित में होगी एवं संविदा में दिये गये पते, ईमेल एवं फैक्स पर अन्य पक्ष को संबोधित करते हुए व्यक्तिगत तौर पर अथवा पावती के साथ प्रमाणित अथवा पंजीकृत डाक अथवा कूरियर अथवा विधिवत प्रेषित ईमेल द्वारा, फैक्स (ईमेल/फैक्स के लिए हार्ड कॉपी के साथ) द्वारा भेजा जाएगा।

पावती मिलने पर नोटिस दिये गये समझे जाएंगे केवल उन नोटिसों को छोड़कर जो सही रूप से लिफाफे पर लिखे गये पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गये नोटिसों को मेल प्रेषित करने की तिथि के बाद पांच कार्य दिवसों (रविवर एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) के भीतर सुपुर्द की गयी मानी जाएगी एवं यदि संसूचना फैक्स अथवा ईमेल से की गयी है तो सफल फैक्स/ईमेल (अर्थात् भेजने वाले के पास पुष्टि करने वाले पृष्ठ की हार्ड कॉपी हो जिसमें यह दिखाई दे कि फैक्स सही फैक्स नंबर में भेजा गया अथवा सही ईमेल पते पर भेजा गया) की तिथि की अगली कारोबारी तिथि को मानी जाएगी।

कोई पक्ष इस खंड में प्रदान किए गये तरीकों में से एक में दूसरे पक्ष को लिखित में नोटिस प्रदान करते हुए ईमेल पता एवं फैक्स नंबर बदल सकता है जिस पर नोटिस भेजा जाना है।

6.4 अप्रत्याशित घटना

चयनित बोलीदाता अपने कार्य निष्पादन जमानत की जब्ती, निर्णीत हर्जाना, चूक के लिए दंड एवं समापन का भागी नहीं होगा यदि अप्रत्याशित घटना के कारण किसी हद तक कार्य निष्पादन में देरी करता है अथवा संविदा के तहत अपने दायित्वों का कार्य निष्पादन करने असफल रहता है।

इस खंड के प्रयोजनार्थ 'अप्रत्याशित घटना' से स्पष्ट तौर पर ऐसी घटना अभिप्रेत है जो चयनित बोलीदाता यथोचित नियंत्रण के बाहर है एवं जिसमें चयनित बोलीदाता की चूक अथवा लापरवाही शामिल नहीं है एवं पूर्वाभास नहीं है। ऐसी घटनाओं में भगवान अथवा जन विरोधी कृत्य, भारत सरकार के अपनी संप्रभु की क्षमताके कृत्य, हड़ताल, राजनीतिक व्यवधान, बंद, दंगे, नागरिक उथल पुथल एवं युद्ध शामिल है।

यदि अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति पैदा होती है तो चयनित बोलीदाता अविलंब ऐसी स्थितियों एवं 15 दिनों के भीतर

उसके कारणों का लिखित में बैंक को सूचित करेगा। जब तक अन्यथा बैंक लिखित में निर्देश न दे चयनित बोलीदाता जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो इस करार के तहत अपने दायित्वों का कार्य निष्पादन जारी रखेगा एवं सभी कार्य निष्पादन के लिए यथोचित वैकल्पिक माध्यमों की तलाश करेगा यदि अप्रत्याशित घटना न रोका गया हो। ऐसे मामलों में कार्य निष्पादन का समय उस अवधि(यों) तक बढ़ाया जाएगा जो एवे विलंब की अवधि से कम न हो। यदि यह विलंब की अवधि निरंतर तीन माह की अवधि से अधिक रहती है तो बैंक एवं चयनित बोलीदाता समस्या का समाधान खोजने के एक प्रयास के तौर पर विचार विमर्श करेंगे।

6.5 नियत कार्य

चयनित बोलीदाता इस पर सहमत होगा कि कंपनी इस आरएफपी एवं तदुपरांत करार के तहत अपने कोई अथवा सभी अधिकार एवं अथवा दायित्व बैंक की पूर्व सहमति के बिना कंपनी से संबद्ध सहित किसी संस्था को सौंपने का पात्र नहीं होगा।

यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपा गया माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस आरएफपी के तहत चयनित बोलीदाता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.6 अधित्याग

इस आरएफपी दस्तावेज अथवा तदुपरांत करार के तहत प्रदत्त कोई अधिकार शक्ति का विशेषाधिकार अथवा उपाय दूसरे पक्ष के साथ प्रयोग करने के संबंध में किसी एक पक्ष के असफल रहना अथवा विलंब होना ऐसे अधिकार विशेषाधिकार अथवा उपाय के अधित्याग अथवा किसी दूसरे पक्ष द्वारा पूर्ववर्ती अथवा बाद के उल्लंघन के अधित्याग के रूप में कार्य करेगा न ही कोई अधिकार शक्ति का विशेषाधिकार अथवा उपाय का कोई एक अथवा आंशिक प्रयोग इस आरएफपी दस्तावे में प्रदत्त ऐसे अथवा कोई अन्य अधिकार शक्ति के विशेषाधिकार जो सभी कई एवं संचयी होते हैं एवं कानून एवं सामान्य न्याय में एक दूसरे को उपलब्ध एक दूसरे के अथवा किसी अन्य अधिकार अथवा अन्यथा उपाय हैं, का कोई अन्य अथवा आगे प्रयोग करने में बाधा नहीं बनेगी।

6.7 गोपनीयता

पक्षों को स्वीकार करना होगा कि इस आरएफपी एवं तदुपरांत करार के तहत दायित्वों का कार्य निष्पादन करने की अवधि में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को सूचना उजागर करेगा अथवा प्राप्त करेगा जिसे ऐसा पक्ष गोपनीय के तौर पर समझेगा। कोई भी पक्ष तीसरे पक्ष को गोपनीय जानकारी का विगोपन नहीं करेगा।

‘गोपनीय जानकारी’ से वह कोई एवं सारी सूचना अभिप्रेत है जो ‘विगोपनकर्ता पक्ष’ से ‘प्राप्तकर्ता पक्ष’ द्वारा प्राप्त होती है अथवा प्राप्त की गयी है:

- विगोपनकर्ता पक्ष से संबंधित है; एवं
- विगोपनकर्ता पक्ष द्वारा गोपनीय होने के तौर पर निर्दिष्ट है अथवा परिस्थितियों में विगोपित हुई है जहां प्राप्तकर्ता

पक्ष युक्तियुक्त तौर पर समझता है कि विगोपित सूचना गोपनीय होगी अथवा

- विगोपनकर्ता पक्ष द्वारा अथवा की ओर से उसके कर्मचारीगण, अधिकारीगण, निदेशकगण, एजेंट, प्रतिनिधिगण एवं सलाहकारण द्वारा तैयार अथवा निष्पादित की गयी है।
- उपरोक्त की व्यापकता को सीमित किए बिना गोपनीय जानकारी का तात्पर्य ऐसी जानकारी से होगा जिसमें कोई सूचना, डेटा, विश्लेषण, संकलन, नोट, सार, सामग्री, रिपोर्ट, विनिर्देशअथवा अन्य दस्तावेज अथवा सामग्री शामिल है जिसे बैंक द्वारा चयनित बोलीदाता से साझा किया जा सकता है।
- 'गोपनीय सामग्री' का तात्पर्य बिना बाध्यता के, लिखित अथवा मुद्रित दस्तावेज एवं कंप्यूटर डिस्क अथवा टेप चाहे वह मशीन हो अथवा उपयोगकर्ता के पठनीय सहित गोपनीय जानकारी से युक्त दृष्टिगोचर सामग्री होगा।
- इस खंड के अनुरूप विगोपित सूचना संविदा की अवधि के अलावा 2 वर्षों की अवधि तक गोपनीयता के अधीन होगी। हालांकि जहां गोपनीय जानकारी बैंक के डेटा बैंक के ग्राहकों के डेटा सहित लेकिन बैंक के ग्राहकों अथवा बैंक के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं से संबंधित है, व्यक्तिगत डेटा अथवा ऐसी अन्य सूचना जो बैंक को बैंक की गोपनीयता अथवा ऐसा कोई अन्य कानून अनिश्चित अवधि के रक्षा करने के लिए जरूरी है, प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा ऐसी गोपनीय जानकारी अनिश्चित अवधि के लिए अथवा ऐसे समय तक जब प्राप्तकर्ता पक्ष की अब गोपनीय जानकारी तक कोई पहुंच नहीं है, एवं अपने कब्जे में सभी गोपनीय जानकारी को वापिस न कर दिया हो अथवा नष्ट न कर दिया हो, संरक्षित रखी जाएगी।
- इस खंड में कुछ भी अंतर्विष्ट न होते हुए भी चयनित बोलीदाता किसी तीसरे पक्ष को इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने में अथवा कौशल, तकनीकी जानकारी एवं इस खंड के अधीन विचार की गयी सेवाएं उपलब्ध कराने में कर्मचारीगणों द्वारा अर्जित अनुभव का पुनः उपयोग करने से बाध्य करेगी। परंतु यह भी कि चयनित बोलीदाता किसी भी समय पर बैंक की गोपनीय जानकारी अथवा बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल नहीं करेगा।

पक्ष हर समय किसी कारोबार, तकनीकी अथवा वित्तीय सूचना जो विगोपन के समय पर गोपनीयता के तौर पर लिखित में निर्दिष्ट हैं सहित इस आरएफपी एवं तदुपरांत करार की विषय वस्तु के संबंध में गोपनीयता बनाये रखेगा अथवा पक्षों को यह समझना होगा कि युक्तियुक्त कारोबारी निर्णय प्रयोग करना गोपनीय होता है।

पक्ष गोपनीयता बनाए रखेंगे एवं पक्षों के पास उपलब्ध कोई एवं सारी गोपनीय जानकारीओं का तीसरे पक्ष के समक्ष विगोपन नहीं करेंगे चाहे ऐसी सूचना लिखित में दी गयी हो अथवा मौखिक अथवा दृश्य संबंधी होएवं चाहे ऐसा लेखन स्वामित्व एवं/अथवा अन्यथा के दावों स्पष्ट करने के लिए चिन्हित हों। इस आरएफपी में उपबंधित अन्यथा के सिवाय पक्ष किसी भी तरह से किसी गोपनीय जानकारी का न ही उपयोग करेंगे और न ही प्रतिलिपि तैयार करेंगे। पक्षों को इस पर सहमत होना होगा कि वे इसी महत्व की अपनी स्वयं की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करने में प्रयुक्त देखभाल के स्तर एवं प्रक्रियाओं के साथ कम से कम वही मानक के साथ अन्य की गोपनीय जानकारी की रक्षा करेंगे।

अन्य व्यक्तियों/सलाहकारों/कंपनी को उप संविदा देने की अनुमति नहीं है।

प्राप्तकर्ता पक्ष हर समय विगोपनकर्ता पक्ष की सभी गोपनीय जानकारी एवं गोपनीय सामग्री कितनी भी प्राप्त हो, को गुप्त एवं गोपनीय के तौर पर मान देंगे, रक्षा करेंगे अनुरक्षण करेंगे एवं रखेंगे एवं इस बात पर सहमत होंगे कि वे

विगोपनकर्ता पक्ष की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना नहीं करेंगे:

- कोई ऐसी गोपनीय जानकारी एवं सामग्री किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा किसी सस्था के अतिरिक्त अपने निदेशकगण, साझीदारों, सलाहकारों, एजेंटों अथवा कर्मचारीगण जिसे इस संविदा के हिस्से के तौर पर उपलब्ध कराए गये साधनों के अनुरक्षणार्थ एवं सहायतार्थ उक्त को जानने की आवश्यकता है, को विगोपन, पारेषण, प्रतिलिपि बनाना अथवा उपलब्ध कराना। प्राप्तकर्ता पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि इसके निदेशकगण, साझीदार, सलाहकारगण, एजेंट अथवा कर्मचारीगणों द्वारा उपयोग एवं गोपनीयता इस आरएफपी के निबंधन व शर्तों एवं अपेक्षाओं के अनुसार हो; अथवा
- जब तक अन्यथा एतद् द्वारा इस पर सहमत न हो अपने स्वयं के लाभ, अथवा अन्यो के लाभ के लिए ऐसी गोपनीय जानकारी एवं सामग्री का उपयोग करना अथवा विगोपन पक्ष अथवा इसके ग्राहकों अथवा अपने परियोजनाओं के हितों के विपरीत कुछ भी करना।

इसके अधीन गोपनीयता बनाये रखने में गोपनीय सूचना एवं सामग्री प्राप्त करने पर प्राप्तकर्ता पक्ष इस पर सहमत होगा एवं विश्वास दिलाएगा कि वह नहीं करेगा:

- ऐसी गोपनीय जानकारी एवं सामग्री सुरक्षा करने में कम से कम उसी स्तर की देखभाल करना जैसे कि वह अत्यंत महत्व की अपनी स्वयं की गोपनीय जानकारी के लिए करता है एवं ऐसी स्तर की देखभाल कम से कम ऐसी होगी जिसकी ऐसे अनजाने विगोपन को रोकने की यथोचित गणना की जाती है।
- गोपनीय जानकारी एवं गोपनीय सामग्री एवं उनकी कोई प्रतियों को इस तरह से सुरक्षित रखना ताकि को तीसरा पक्ष द्वारा उस तक अनाधिकृत पहुंच को रोका जा सके।
- अपने निदेशकगण, साझीदारों, सलाहकारों, एजेंटों अथवा कर्मचारीगण तक ऐसे गोपनीय जानकारी तक सीमित पहुंच जो गोपनीय जानकारी पर विचार करने/मूलयंकन करने में प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं एवं अपने प्रत्येक निदेशकगण, साझीदारों, सलाहकारों, एजेंटों अथवा कर्मचारीगण को बाध्य करना जो इस दस्तावेज में निर्धारित तरीके में गोपनीय जानकारी एवं सामग्री की रक्षा करने में शामिल हैं।
- गोपनीय जानकारी की कोई अनाधिकृत विगोपन की खोजबीन अथवा संदिग्ध अनाधिकृत विगोपन पर विगोपनकर्ता पक्ष को लिखित में अविलंब ऐसे विगोपन की सूचना देना एवं विगोपनकर्ता पक्ष को ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री अविलंब वापस करना तत्संबंधी कोई एवं सभी प्रति सहित जिस भी स्वरूप में हों
- प्राप्तकर्ता पक्ष जो गोपनीय जानकारी एवं सामग्री प्राप्त करता है इस पर सहमत होगा कि विगोपनकर्ता पक्ष से लिखित मांग की प्राप्ति होने पर:
 - क) सभी लिखित गोपनीय जानकारी, गोपनीय सामग्री एवं तत्संबंधी सभी प्रतियां अविलंब वापिस करना जो उसने अथवा उसके सलाहकारों को उपलब्ध कराई गयी हैं अथवा प्रस्तुत की गयी हैं जो यथास्थिति प्राप्तकर्ता पक्ष के कब्जे अथवा अपने अभिरक्षा एवं नियंत्रण में हैं।

- ख) इस सीमा तक व्यावहारिक बनाना, उसके अथवा उसके सलाहकारों द्वारा तैयार सभी विश्लेषण, संकलन, नोट, अध्ययन, ज्ञापन अथवा अन्य दस्तावेजों को इस सीमा तक अविलंब नष्ट करना कि उक्त विगोपनकर्ता पक्ष से संबंधित गोपनीय जानकारी से युक्त, परिलक्षित अथवा व्युत्पन्न हो:
- ग) जहां तक व्यावहारिक हो कोई कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर अथवा अन्य डिवाइस जो उसके कब्जे अथवा अभिरक्षा एवं नियंत्रण में है, से विगोपनकर्ता अथवा उसकी परियोजनाओं से संबंधित कोई गोपनीय जानकारी अविलंब मिटाना:
- घ) इस सीमा तक व्यावहारिक बनाना उसके निदेशक अथवा अन्य जिम्मेदार प्रतिनिधि द्वारा अविलंब हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जिसमें यह पुष्टि की गयी हो कि यह उसकी समझ, जानकारी एवं विश्वास में सबसे बेहतर है एवं सभी समुचित जांच पड़ताल से युक्त है तथा इस अनुच्छेद की अपेक्षाओं का पूर्णतया पालन किया गया है, एवं
- ङ) आपदा पुनर्प्राप्ति स्थल सहित विवाद की स्थिति में भी बैंक के परिसर में रहने वाला डेटा/सूचना का अधिकार हर समय पूर्णतया बैंक में विहित होगा।

ऐसी गोपनीय जानकारी के किसी हिस्से के संबंध में प्राप्तकर्ता पक्ष पर कोई बाध्यता लागू एवं अधिरोपित नहीं होगी जो:

- क) प्राप्त समय पर अथवा प्राप्तकर्ता पक्ष की ओर से कोई कृत्य न करने पर अथवा विफल रहने पर उपलब्ध होता है आमतौर पर जनता को पता है अथवा उपलब्ध है;
- ख) ऐसी सूचना प्राप्त करते समय पर प्राप्तकर्ता पक्ष को विदित है जैसा प्रलेखीकरण द्वारा स्पष्ट होता है फिर अधिकारपूर्ण ढंग से प्राप्तकर्ता पक्ष के कब्जे में होता है;
- ग) विगोपन के प्रतिबंध के बिना प्राप्तकर्ता पक्ष को अन्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है;
- घ) तत्पश्चात विगोपन पर उस तीसरे पक्ष के प्रतिबंध के बिना तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता पक्ष को अधिकारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है;
- ङ) कानून अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार के कोई न्यायालय, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियम व विनियमों अथवा सरकारी, सांविधिक अथवा नियामक निकाय जो कानूनी तौर पर किसी ऐसे विगोपन की आवश्यकता के हकदार हैं द्वारा किसी पूछताछ अथवा जांच पड़ताल की अपेक्षाओं के अनुसार विगोपित किया गया है परंतु यह कि जहां तक यह विगोपन करने से पूर्व ऐसे करने के लिए न्यायोचित एवं व्यावहारिक है प्राप्तकर्ता पक्ष विगोपन के सुरक्षात्मक आदेश अथवा सहमति प्राप्त करने अथवा अन्यथा ऐसे विगोपन के समय एवं विषय वस्तु पर सहमत होने के अवसर पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऐसी अपेक्षा से विगोपनकर्ता पक्ष को सूचित करेगा।
- च) गोपनीय जानकारी की सहायता के बिना प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गा था।

इस आरएफपी एवं उसके बाद के करार के समापन पर प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी एवं दूसरे पक्ष के कब्जे अथवा नियंत्रण में रहने वाली गोपनीय जानकारी से युक्त नोट एवं ज्ञापन (उनकी प्रति सहित) जो प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रलेखीकरण के लिए सुरक्षित है जिसे बैंक को उपलब्ध कराया गया है जो सेवाओं की लाभप्रदता के लिए निरंतर

प्राप्ति के लिए अपेक्षित है, दूसरे पक्ष को अविलंब वापिस करना अथवा मिटाना अथवा नष्ट करना आवश्यक है। उपरोक्त में कुछ भी न होते हुए भी चयनित बोलीदाता ऐसी जानकारी की प्रति रख सकता है (लेकिन जिसमें ग्राहक का डेटा एवं गोपनीय जानकारी शामिल नहीं होगी) जो अभिलेखीय उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।

जहां गोपनीय जानकारी बैंक के डेटा बैंक के ग्राहकों के डेटा सहित लेकिन बैंक के ग्राहकों अथवा बैंक के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं से संबंधित है, व्यक्तिगत डेटा अथवा ऐसी अन्य सूचना जो बैंक को बैंक की गोपनीयता अथवा ऐसा कोई अन्य कानून अनिश्चित अवधि के रक्षा करने के लिए जरूरी है, प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा ऐसी गोपनीय जानकारी अनिश्चित अवधि के लिए अथवा ऐसे समय तक जब प्राप्तकर्ता पक्ष की अब गोपनीय जानकारी तक कोई पहुंच नहीं है, एवं अपने कब्जे में सभी गोपनीय जानकारी को वापिस न कर दिया हो अथवा नष्ट न कर दिया हो, संरक्षित रखी जाएगी। गोपनीय जानकारी एवं सामग्री एवं तत्संबंधी सभी प्रतियां जिस भी रूप में हो, हर समय विगोपनकर्ता पक्ष की संपत्ति रहेगी एवं संविदा के तहत इसका विगोपन प्राप्तकर्ता पक्ष के किसी अधिकार पर उनसे परे निहित नहीं होगा जो भी इस संविदा में अंतर्विष्ट हैं।

किसी अन्य अधिकार अथवा उपाय जो पक्ष के पास हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पक्ष यह स्वीकार करेंगे एवं सहमत होंगे कि क्षतिपूर्ति किसी खंड के उल्लंघन एवं निषेधाज्ञा के उपाय पर्याप्त उपाय नहीं होंगे, विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन एवं अन्य न्यायसंगत राहत किसी संकट में अथवा ऐसे उपबंध के वास्तविक उल्लंघन के लिए यथोचित हैं। इस खंड के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी क्षतिपूर्ति के साक्ष्य आवश्यक नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इस खंड का उल्लंघन संविदा के प्रयोजनार्थ 'सामग्री का उल्लंघन' समझा जाएगा।

गोपनीयता की बाध्यताएं चयनित बोलीदाता एवं बैंक के बीच करार खत्म होने अथवा समापन तक रहेंगे।

6.8 समापन

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निम्नलिखित एक परिस्थिति अथवा उससे अधिक परिस्थितियों में आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है:

- वित्त वर्ष में दो तिमाहियों अथवा किसी तीन तिमाहियों में क्रमशः सेवा स्तरीय अपेक्षा प्राप्त करने में कमी आने पर
- बोलीदाता के संविदा के तहत किसी अन्य दायित्व(वों) का निवर्हन करने में असफल रहने पर
- सेवा प्रदाता द्वारा निगरानी/विन्यास के लिए तैनात कर्मचारीगण की किसी कार्रवाई में से बैंक के डेटा/संपत्ति की सुरक्षा पर किसी खतरे का अनुभव होने पर/देखे जाने पर
- हालांकि समापन के मामले में कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को तीन माह का नोटिस देगा।

बैंक सेवा प्रदाता को तीन माह का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय संविदा समाप्त कर सकता है यदि सेवा प्रदाता ऋणशोधनाक्षम अथवा अन्यथा दिवालिया हो जाता है। ऐसी स्थिति में समापन सेवा प्रदाता को बिना की क्षतिपूर्ति के होगा परंतु ऐसा समापन कार्रवाई अथवा उपाय के किसी अधिकार पर विपरीत प्रभाव अथवा प्रभाव नहीं डालेंगे जो उसके

बाद बैंक को प्राप्त हैं अथवा प्राप्त होंगे।

6.9 प्रकाशन

चयनित बोलीदाता द्वारा कोई प्रकाशन जिसमें बैंक का नाम इस्तेमाल किया जाना है केवल बैंक की स्पष्ट लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है।

6.10 कर्मचारीगणों की सिफारिश

चयनित बोलीदाता संविदा अवधि के दौरान बैंक की लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर क) भर्ती, मजदूरी पर रखना अथवा काम पर रखना अथवा भर्ती, मजदूरी पर रखने अथवा काम पर रखने का प्रयास करना अथवा रोजगार के बारे में चर्चा करना अथवा अन्यथा किसी व्यक्ति की सेवाओं का इस्तेमाल करना जो संविदा के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में बैंक द्वारा किसी क्षमता से कर्मचारी अथवा सहयोगी अथवा काम पर लिया गया हो, अथवा ख) किसी व्यक्ति को प्रेरित करना जो बैंक के साथ उसके संबंध के समापन के समय पर बैंक का कर्मचारी अथवा सहयोगी होगा।

6.11 अभिलेखों का निरीक्षण

सभी चयनित बोलीदाता इस आरएफपी में शामिल किसी विषय के संबंध में अभिलेखों को सामान्य कार्य समय के दौरान किसी भी समय पर बैंक एवं/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक एवं/अथवा कोई नियामक प्राधिकरण के लेखा परीक्षकों एवं अथवा निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे जितनी बार भी बैंक लेखा परीक्षा जांच करना एवं प्रासंगिक डेटा की अंश अथवा नकल बनाना आवश्यक समझे। उक्त अभिलेख जांच के अधीन होंगे। बैंक के लेखा परीक्षकों को चयनित बोलीदाता के साथ गोपनीयता करार का निष्पादन करना होगा परंतु यह कि लेखा परीक्षक अपने निष्कर्ष बैंक को प्रस्तुत करने की अनुमति होगी जो बैंक द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। लेखा परीक्षा की लागत का वहन बैंक करेगा। ऐसे लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र संविदा के तहत शामिल किए जा रहे सेवा स्तरों तक सीमित होगा एवं ऐसे निरीक्षण से वित्तीय जानकारी निष्पादित की जाएगी जो सांविधिक एवं नियामक प्रधिकरणों की अपेक्षाओं के अधीन होगी।

6.12 कानूनों का अनुपालन

चयनित बोलीदाता को इस आरएफपी में अपने एवं सभी प्रयोजनों में स्वयं को, अपने बारोबार, अपने कर्मचारियों अथवा अपने दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार

की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/ कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा। सभी लागू कानूनों का अनुपालन उन कानूनों तक सीमित होगा जो प्रत्यक्ष/परोक्ष तौर पर इस आरएफपी के हिस्से के तौर पर प्रदान किए गये सेवाओं के कारण बैंक के कारोबार को प्रभावित करते हैं। हालांकि चयनित बोलीदाता द्वारा इस आरएफपी में उल्लिखित सेवा प्रदान करने के लिए सांविधिक अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

चयनित बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित अधिकार, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक चयनित बोलीदाता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

चयनित बोलीदाता सांविधिक दायित्वों यथा उपरोक्त विनिर्दिष्ट है के साथ अनुपालन करने की अपनी जिम्मेदारी से दोषमुक्त नहीं होगा। क्षतिपूर्ति में अप्रत्यक्ष, परिणामी एवं आकिस्मिक क्षति शामिल नहीं हैं।

6.13 अन्य निरस्तीकरण

बैंक चयनित बोलीदाता को चूक अथवा उक्त स्थिति को सुधारने के लिए 90 दिनों की उपायात्मक अवधि प्रदान करेगा। बैंक पत्र अथवा मेल के माध्यम से चयनित बोलीदाता को चूक की प्रकृति लिखित में प्रदान करेगा। यह 90 दिनों की समयावधि चयनित बोलीदाता को बैंक द्वारा किये गये ऐसे पत्राचार की तिथि से प्रारंभ होगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निम्नलिखित एक अथवा उससे अधिक परिस्थितियों में जो पूर्णतया एवं प्रत्यक्ष तौर पर बैंक के कारण नहीं है, आदेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है:

- विनिर्दिष्ट अवधि जिस पर चयनित बोलीदाता संविदा में सहमत है एवं हस्ताक्षरित होगा, से अधिक समय तक कार्यान्वयन करने में विलंब होने पर
- कार्यान्वयन, रोलआउट एवं तदुपरांत अनुरक्षण प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित सेवा की गुणवत्ता/सुरक्षा में विसंगति पाये जाने पर
- चयनित बोलीदाता के उपचारात्मक अवधि के भीतर उपयुक्त स्थिति बनाने में विफल रहने पर
- चयनित बोलीदाता द्वारा इस आरएफपी/संविदा के निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करने पर
- चयनित बोलीदाता का दिवालिया हो जाने पर अथवा स्वेच्छा से अथवा अन्यथा परिसमापन में चले जाने पर

- इस निविदा के प्रवृत्त होने की सात दिनों के अवधि के भीतर कुर्की किए जाने पर अथवा आगे निरंतर कुर्की किए जाने पर

आदेश के निरस्तीकरण के मामले में बैंक द्वारा चयनित बोलीदाता को किया गया कोई भुगतान ऐसे प्रत्येक भुगतान की तिथि से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से बैंक को अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। वापस किए जाने वाला यह भुगतान उन प्रदेयों को संदर्भित करता है जो चयनित बोलीदाता के समापन के बाद पूर्णतया बदला जाना है अथवा नये सिरे से बनाना है।

6.14 क्षतिपूर्ति

चयनित बोलीदाता निम्नलिखित के परिणामस्वरूप बैंक के विरुद्ध कोई दावा, याचिका अथवा कार्यवाही से अथवा किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर के संबंध में, परिणामस्वरूप कोई एवं सभी हानियों, देयताओं, दावों, कार्रवाईयों, लागतों एवं व्ययों (अधिवक्ताओं के शुल्क सहित) से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा एवं बैंक एवं इसके कर्मचारीगणों, कर्मियों, अधिकारीगणों, निदेशकगणों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'कार्मिक' के तौर पर संदर्भित) को हमेशा अलग रखेगा।

- इस आरएफपी के तहत चयनित बोलीदाता द्वारा प्रदत्त प्रदेयों एवं/अथवा सेवाओं के बैंक के प्राधिकृत/प्रमाणिक उपयोग पर; एवं/अथवा
 - इस आरएफपी के तहत दायित्वों के कार्य निष्पादन में चयनित बोलीदाता एवं/अथवा उसके कर्मचारीगणों के किसी कृत्य अथवा चूक पर; एवं/अथवा
 - बैंक के प्रति कर्मचारियों द्वारा किए गये दावे पर जो चयनित बोलीदाता द्वारा तैनात किए गये हैं; एवं/अथवा
 - चयनित बोलीदाता द्वारा अपने कर्मचारीगणों को रोजगार, प्रतिपूर्ति की गैर अदायगी एवं वैधानिक लाभप्रदता के गैर प्रावधान में से उत्पन्न दावों पर
 - इस आरएफपी के किसी शर्त का उल्लंघन अथवा इस आरएफपी के तहत चयनित बोलीदाता द्वारा किसी निरूपण अथवा गलत निरूपण अथवा गलत बयानी अथवा आश्वासन अथवा वाचा अथवा विश्वास के उल्लंघन पर: एवं/अथवा
 - किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अथवा ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना करने वाले कोई अथवा सभी प्रदेय अथवा सेवाएं देने पर: एवं/अथवा
 - इस आरएफपी में अंतर्विष्ट चयनित बोलदाता के गोपनीयता के दायित्वों के उल्लंघन पर: एवं/अथवा
 - चयनित बोलीदाता अथवा उसके कर्मचारीगणों के कारण लापरवाही अथवा घोर दुराचरण पर।
- क्षतिपूर्ति में इस आरएफपी के तहत एवं तदुपरांत चयनित बोलीदाता द्वारा किए गये करार के दायित्वों के उल्लंघन के कारण ग्राहक एवं/अथवा नियामक प्राधिकरणों द्वारा किए गये दावों से उत्पन्न बैंक को हुई क्षति, हानि अथवा देयताएं शामिल हैं।

6.15 भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण आचरण

केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार चयनित बोलीदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से यह अपेक्षा है कि वे इस नीति के अनुसार ऐसी संविदा की अधिप्राप्ति एवं निष्पादन में नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें।

- 'भ्रष्ट आचरण' से अधिप्राप्ति प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन में किसी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी कीमत की पेशकश, देना, प्राप्त करना अथवा याचना करना अभिप्रेत है एवं
- 'कपटपूर्ण आचरण' से बैंक को हानि पहुंचाते हुए अधिप्राप्ति प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना अभिप्रेत है जिसमें कृत्रिम गैर प्रतिस्पर्धी स्तर पर बोली के मूल्य स्थिर करने एवं बैंक को लाभों से मुक्त रखने व खुली प्रतिस्पर्धा से वंचित रखने के लिए अभिकल्पित सलाहकारों के बीच कपटपूर्ण आचरण (बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा बोली प्रस्तुत करने के पश्चात) शामिल है।

बैंक के पास ऐसे निर्णय के प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि वह दृढ़ संकल्प है कि निर्णय के लिए संस्तुत चयनित बोलीदाता विवादास्पद संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने में भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण आचरण में शामिल है।

बैंक के पास कंपनी को या तो अनिश्चित काल के लिए अथवा संविदा दिये जाने में बैंक के निर्णय के अनुसार समय की निश्चित अवधि के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार सुरक्षित है यदि किसी भी समय पर वह दृढ़ संकल्प है कि कंपनी प्रतिस्पर्धा करने में अथवा संविदा के निष्पादन में भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण आचरण में शामिल है।

6.16 शर्तों का उल्लंघन

बैंक इस आरएफपी में अंतर्विष्ट वाचाओं, दायित्वों एवं निरूपणों के कार्य निष्पादन में किसी उल्लंघन अथवा लागू करने से चयनित बोलीदाता को नियंत्रित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने, निरोधक आदेश देने, वसूली का अधिकार, विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन के लिए अभियोग अथवा ऐसे अन्य न्यायसंगत उपाय जैसा सक्षम न्यायालय आवश्यक अथवा उचित समझे, करने का हकदार है। ये आदेशात्मक उपचार संचयी हैं एवं अधिकारों एवं उपायों के अतिरिक्त हैं। बैंक के पास किसी राशि एवं संबंधित लागतों की वसूली का अधिकार एवं क्षतिपूर्ति के अधिकार के बिना पाबंदी सहित कानून के तहत अथवा पक्षपात नहीं करेगा।

6.17 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

चयनित बोलीदाता प्राधिकृत हस्ताक्षरियों का उल्लेख करेगा जो इस संविदा के अधीन दायित्वों के संबंध में बैंक के साथ चर्चा एवं पत्राचार कर सके। चयनित बोलीदाता संविदा पर हस्ताक्षर करते समय बैंक के साथ करार/संविदा पर चर्चा करने, हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी/निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित अपने मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के अधिकारी अथवा अधिकारियों को प्राधिकृत करने अथवा मुख्तारी अधिकार की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। चयनित बोलीदाता उपरोक्त प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर की पहचान का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जैसा बैंक को अपेक्षित हो।

6.18 गैर विगोपन करार

चयनित बोलीदाता गैर विगोपन करार (एनडीए) का निष्पादन करेगा। चयनित बोलीदाता नियुक्ति पत्र के स्वीकार करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर गैर विगोपन करार (एनडीए) का निष्पादन करेगा।

6.19 प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार

बैंक के पास इस आरएफपी के प्रत्युत्तरों को अस्वीकार करने का पूर्ण एवं स्पष्ट अधिकार सुरक्षित है यदि यह बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार न हो एवं इस संबंध में बैंक किसी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। प्रत्युत्तरदाओं से प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार किया जाएगा यदि:

- यह आरएफपी दस्तावेज में उल्लिखित अनुदेशों के अनुरूप न हों।
- यह अपेक्षित आवेदन शुल्क एवं धरोहर राशि (ईएमडी) के साथ न हो।
- यह समुचित अथवा विधिवत हस्ताक्षरित न हो।
- यह ईमेल/फैक्स के माध्यम प्राप्त किया गया हो।
- यह नियततिथि एवं समय के समापन के बाद प्राप्त हो।
- यह अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के साथ अपूर्ण हो।
- कपटपूर्ण अथवा गलत जानकारी से युक्त हो।
- यह किसी प्रकार का पक्ष प्रचार करने वाला हो।
- यह इस आरएफपी में उल्लिखित स्थान के अलावा कहीं और प्रस्तुत किया गया हो।

6.20 देयता की सीमा

1. इस परियोजना के हिस्से के तौर पर प्रारंभ किए गये दायित्वों के संबंध में चयनित बोलीदाता की कुल देयता, चाहे इस खंड के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसी देयता (चाहे संविदा, अपकार अथवा अन्यथा में हो) देने की कार्यवाही के स्वरूप अथवा प्रकृति की परवाह किए बिना इस परियोजना के अंतर्गत पैदा होने वाले हो, कुल संविदा मूल्य के पांच गुना तक सीमित होगा।
2. चयनित बोलीदाता की जानबूझकर किए गये कदाचार अथवा घोर लापरवाही के परिणामस्वरूप बैंक के प्रति दावे अथवा सेवा प्रदाता, इसके कर्मचारीगणों द्वारा असली अथवा मूर्त अथवा अमूर्त संपत्ति की क्षति के कारण बैंक को हुई हानि अथवा किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अथवा ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना अथवा चयनितबोलीदाता द्वारा किया गया गोपनीयता के दायित्वों का उल्लंघन के कारण बैंक को हुई हानि के मामले में चयनित बोलीदाता की देयता वास्तविक रहेगी।
3. किसी भी परिस्थिति में बैंक चयनित बोलीदाता को इस करार के समापन से उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परिणामी, विशेष अथवा उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति के लिए का उत्तरदायी नहीं होगा भले ही बैंक को ऐसे क्षति की संभावना की सूचना दी गयी हो।

7 प्रतिअख्यान

किसी कानून के अधीन कानूनी के विपरीत अथवा कानून द्वारा अनुज्ञप्त अधिकतम सीमा तक बैंक एवं इसके निदेशकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ठेकेदार, प्रतिनिधि, एजेंट एवं सलाहकार इस आरएफपी में अंतर्विष्ट अनुमान, विवरणआकलन अथवा प्रक्षेपण एवं इससे संबंधित सहायक सेवाओं के संचालन चाहे वह बैंक अथवा इसके किसी निदेशकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ठेकेदार, प्रतिनिधि, एजेंट अथवा सलाहकारों की ओर से किसी अनभिज्ञता,

लापरवाही, उपेक्षा, अनियमितता, अवहेलना, भूल, चूक, असावधानी, अधूरी जानकारी, जालसाजी, मिथ्या प्रस्तुति सहित किसी प्रकार के पूर्वानुमानों एवं सूचना (चाहे वह मौखिक अथवा लिखित में हो एवं चाहे व्यक्त अथवा अंतर्निहित हो) के कारण काम करने वाले किसी व्यक्ति अथवा काम करने वाले के आड़े आने से होने वाली किसी प्रकार की (हानि), व्यय (बिना सीमा बंधन, कोई कानूनी शुल्क, लागत, प्रभार, मांग, कार्रवाई, देयता, उस पर किया गया अथवा उससे संबंधित आकस्मिक व्यय अथवा संवितरण) अथवा क्षति (चाहे पूर्वाभाषी हो अथवा नहीं) से सभी देयताओं को अस्वीकार करते हैं।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in– **What's New**